अप्रैल 2018

मध्यप्रदेश पंचायिका

पंचायतों की मासिक पत्रिका

संरक्षक
गोपाल भार्गव
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

प्रबंध सम्पादक
शमीम उद्दीन

समन्वय
मंगला प्रसाद मिश्रा

परामर्श
डॉ. विनोद यादव

सम्पादक
रंजना चितले

सहयोग
अनिल गुप्ता

वेबसाइट
आत्माराम शर्मा

आकल्पन
आलोक गुप्ता
विनय शंकर राय

एक प्रति : बीस रुपये
वार्षिक : दो सौ रुपये

सम्पर्क
मध्यप्रदेश पंचायिका
मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल
भोपाल-462011
फोन : 2764742, 2551330
फैक्स : 0755-4228409
Email : panchayika@gmail.com
Website : www.panchayika.com

कृपया वार्षिक ग्राहक बनने के लिए अपने ड्राफ्ट/मनीआर्डर मध्यप्रदेश माध्यम, भोपाल के नाम से भेजें।

मध्यप्रदेश पंचायिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं, इसके लिए सम्पादक की सहमति अनिवार्य नहीं है।

इस अंक में...

पंचायत राज : पंचायत प्रतिनिधि ऐतिहासिक काम में अपनी शक्ति और... 5
ग्राम स्वराज अभियान : शुभारंभ : बाबा साहब ने दिखाया करूणा, शांति और अहिंसा का... 10
राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस : पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प पर राष्ट्रीय कार्यशाला 12
विशेष लेख : ग्राम स्वराज अभियान - भारत के कायाकल्प का संकल्प 14
ग्राम स्वराज अभियान : उज्ज्वला दिवस : एक पहल महिला सशक्तिकरण की 19
ग्राम स्वराज अभियान : आयुष्मान भारत दिवस : सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा... 22
खास खबरें : बुजुर्गों को एयर कंडीशनर वृद्ध आश्रम की सौगात 26
सम्मान : दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित 28
अपनी पंचायत : पंचायतों को सशक्त बनाने का माध्यम बना बाबा साहब अम्बेडकर... 30
स्वच्छ भारत मिशन : मध्यप्रदेश के स्वच्छाग्रहियों की अनूठी पहल 31
कार्यशाला : बेहतर गुणवत्ता के लिये नियमित कौशल संवर्धन आवश्यक 33
संक्षिप्त खबरें : जिला और जनपद पंचायत के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति... 34
अन्य प्रांतों से : छत्तीसगढ़ में सात हजार सरपंचों ने ली स्वच्छता की शपथ 35
पंचायत गजट : चौदह अप्रैल को ग्राम सभा का आयोजन 36

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का मार्च माह का अंक मिला। महिला सशक्तिकरण पर केन्द्रित इस अंक में महिलाओं पर केन्द्रित आलेखों ने बेहद प्रभावित किया। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों की सफलगाथा रहस मेले में देखने को मिली। इस बार का रहस मेला नारी शक्ति को समर्पित रहा। इस अंक में प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अव्वल है, की जानकारी भी ग्रामीणजनों को प्रेरित करेगी। कुल मिलाकर यह अंक न केवल प्रशंसनीय है, बल्कि संग्रहणीय भी है।

- अरुण कुमार त्रिपाठी
होशंगाबाद (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का मार्च 2018 का अंक पढ़ा। इस अंक में कई सफलता की कहानियां प्रकाशित की गई हैं। ये सफलता की कहानियां एक तरफ लोगों को प्रभावित करती हैं। वहीं दूसरी तरफ लोगों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से अवगत भी करवाती हैं। शासन की विभिन्न योजनाओं से ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक कहानी के रूप में प्रस्तुत कर आपने सराहनीय कार्य किया है। मेरी ओर से शुभकामनाएं।

- रविन्द्र सिंह
शहडोल (म.प्र.)

संपादक जी,

महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित मध्यप्रदेश पंचायिका का मार्च 2018 अंक पढ़ा। इस अंक में महिला के उत्थान के साथ-साथ उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सशक्तिकरण की कहानी को बेहतर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मध्यप्रदेश में महिलाओं के लिये त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था में 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है। यह एक सराहनीय कदम है। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिये किये गये प्रयासों से आज महिलायें स्वावलंबी बन रही हैं। महिलाओं के सशक्त बनने से समाज और प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है।

- हरिशंकर रजक
सागर (म.प्र.)

संपादक जी,

मध्यप्रदेश पंचायिका का नवीनतम अंक पढ़ा। मध्यप्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्व-सहायता समूह आजीविका गतिविधियों से लोगों को जोड़ रहे हैं। स्व-सहायता समूहों से जुड़कर महिलाएं भी आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो रही हैं। स्व-सहायता समूहों को मजबूत बनाने के लिये सरकार कई प्रयास कर रही है। इन समूहों को आंगनवाड़ियों में वितरित होने वाले टेक होम राशन के निर्माण और प्रदाय का कार्य देने का फैसला राज्य सरकार ने लिया है, जो कि प्रशंसनीय है।

- दीवान सिंह राजपूत
विदिशा (म.प्र.)

ग्राम स्वराज अभियान
समृद्ध भारत का संकल्प

प्रिय पाठकगण,

किसी भी देश अथवा प्रदेश को सम्पन्न, समृद्ध और सशक्त होने के लिए उसकी न्यूनतम इकाई गाँव की समृद्धता आवश्यक है। यह तभी संभव है जब गाँव भेदरहित हों, समाज समरस हो, शिक्षित हो, स्वस्थ हो, साफ-सुथरे हों, किसान सम्पन्न हो, सब तक लोक कल्याणकारी विकास की पहुँच हो। इसलिए विगत दिनों 14 अप्रैल को भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान आयोजित किया जा रहा है।

इस अभियान में एक समरस, स्वच्छ, स्वस्थ और सम्पन्न समाज निर्माण के लिए 20 दिवसीय श्रृंखला आयोजित है। 8 चरणों में चलने वाले इस अभियान में जिला, जनपद तथा ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्राम सभा तथा कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। अभियान में गरीबों के हितलाभ के लिए की गयी पहल में उज्ज्वला योजना, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, मिशन इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना तथा कृषक कल्याण योजनाओं का लाभ पहुँचाया जा रहा है।

ग्राम स्वराज अभियान की बीस दिवसीय श्रृंखला में सामाजिक न्याय दिवस, राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस, ग्राम स्वराज दिवस, आयुष्मान भारत दिवस, किसान कल्याण दिवस तथा आजीविका दिवस के रूप में गतिविधियाँ शामिल हैं।

इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों, सांसदों, पंचायत प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अमले ने मिलकर अभियान चलाया और आधारभूत विकास के लिये कार्य किया।

समूचे जन और तंत्र के साझा प्रयास से जनकल्याण की योजनाएँ धरातल पर पहुंचीं, हितग्राही लाभान्वित हुए और भावी संभावनाओं के लिए सूत्र एकत्रित हुए। यद्यपि यह एक निश्चित अवधि में सम्पन्न अभियान है, लेकिन इसका क्रियान्वयन पूरे वर्ष होगा और इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इस समूचे आयोजन और गतिविधियों से यह उम्मीद की जा सकती है कि प्रदेश में ग्राम स्वराज की मूल अवधारणा आकार लेगी।

भविष्य में यह संवाद निरन्तर रहेगा। पंचायिका में प्रकाशित योजनाओं का लाभ अवश्य लें।

शुभकामनाओं सहित।

(गोपाल भार्गव)
मंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास,
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस और ग्राम स्वराज अभियान

प्रिय पाठको,

विगत 23 से 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन प्रदेश सरकार को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिनांक 23 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अंतर्गत जबलपुर शहर में विभिन्न राज्यों से पधारे लगभग 1500 प्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श हेतु विभिन्न विषयों पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधि एवं राज्य सरकार के चुनिंदा प्रतिनिधियों के साथ पांच चिन्हित विषयों पर विचार-विमर्श हुआ।

यह विषय हैं - ग्राम पंचायत विकास योजना - पंचायतों में अर्थिक विकास एवं योजना, ग्राम पंचायतों में सामाजिक विकास एवं सतत् विकास के गोल, युवा पंचायत - नया भारत नई सोच, डिजिटल पंचायत के माध्यम से ग्रामीण परिवर्तन, स्वच्छ भारत अभियान।

कार्यशाला की अध्यक्षता भारत सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर द्वारा की गई। कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लिया गया और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिये। आशा है कि कार्यशाला के निष्कर्ष से पंचायतों की कार्य प्रणाली में सुधार आयेगा और नवीन योजनाओं को लागू करने में सहायता मिलेगी। दिनांक 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन मण्डला जिले के ग्राम रामनगर में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस ऐतिहासिक मौके पर बड़ी संख्या में उपस्थित ग्रामीणजनों एवं विशेष रूप से उपस्थित आदिवासी समुदाय को संबोधित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को सक्रिय भागीदारी के लिये प्रेरित किया तथा शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिये आम जनता को भी उत्प्रेरित किया।

उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा "सबका गांव, सबका विकास" का नारा दिया गया। गांव के समग्र विकास, विकास की अवधारणा को गति देने के लिए दिनांक 14 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान चलाया जायेगा। ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ महामहिम राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द जी ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर की जन्मस्थली महू से किया। ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 18 अप्रैल को स्वच्छ भारत पर्व आयोजित किया गया जिसमें स्वच्छता एवं साफ-सफाई, खुले में शौच से मुक्ति और शौचालय के उपयोग को लेकर प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आयोजित हुए। 20 अप्रैल को, उज्ज्वला पंचायत के रूप में विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई तथा हितग्राहियों को एलपीजी वितरित करने, एलईडी उपलब्ध कराने के साथ योजना की विस्तृत जानकारी दी गयी।

राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस का आयोजन 24 अप्रैल को किया गया। 28 अप्रैल को ग्राम शक्ति अभियान में प्रधानमंत्री आवास योजना और सौभाग्य योजना की जानकारी तथा आवंटन किया गया। 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत अभियान का आयोजन कर ग्राम सभा में आयुष्मान भारत योजना के हितग्राहियों की सूची का वाचन और जानकारी दी गयी। 2 मई का दिन किसान कल्याण दिवस के रूप में मनाया जायेगा। किसानों को खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और उपज दोगुनी किये जाने को लेकर प्रशिक्षित किया जायेगा। 5 मई को आजीविका और कौशल विकास मेलों को आयोजित कर अभियान सम्पन्न होगा।

उम्मीद है ग्राम स्वराज अभियान प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए उपयोगी साबित होगा। मध्यप्रदेश पंचायिका का यह अंक हमने राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस और ग्राम स्वराज अभियान पर केन्द्रित किया है। पंचायतराज दिवस के आयोजन की संपूर्ण जानकारी तथा ग्राम स्वराज अभियान की गतिविधियों के विवरण के साथ योजनाओं की जानकारी भी प्रकाशित की है। हमेशा की तरह पंचायत गजट में हाल ही में जारी किये गये शासकीय आदेशों का प्रकाशन किया गया है। शेष स्तम्भ यथावत हैं। आशा है यह अंक आपके लिए उपयोगी रहेगा। पंचायिका को और अधिक उपयोगी करने हेतु आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा।

(शमीम उद्दीन)
संचालक, पंचायत राज

पंचायत प्रतिनिधि ऐतिहासिक काम में अपनी शक्ति और समय लगायें

पंचायत प्रतिनिधि देश के सवा सौ करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। पंचायत प्रतिनिधियों को पांच वर्षों के लिये कार्यकाल मिलता है। कार्यक्रम में अपने गांव के लिये ऐसा काम करें, जो ऐतिहासिक साबित हो। पंचायत प्रतिनिधि जनता के सेवक हैं और वे अपनी ऊर्जा, शक्ति और दूरदर्शिता से गाँव की तस्वीर बदल सकते हैं। पंचायत प्रतिनिधि अपनी प्राथमिकताएं तय करके गाँव के कल्याण के लिये कार्य कर सकते हैं। यह बात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय बहुल मंडला जिले के रामनगर में पंचायतराज दिवस पर ग्रामसभाओं को संबोधित करते हुए कही।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों से कहा कि वे देश की सवा सौ करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पंचायतराज प्रतिनिधियों को पाँच साल के लिये कार्यकाल मिलता है। उसमें वे अपनी क्षमतानुसार ऐतिहासिक काम करने में अपनी ऊर्जा और समय लगायें। बजट की चिंता नहीं है। चिंता है केवल प्राथमिकताएं तय करने की। चिंता केवल बजट के सही समय पर सही काम के लिये ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ उपयोग करने की है। उन्होंने कहा कि अब पहले की सरकारों की तरह बजट की कोई कमी नहीं है। कई काम ऐसे हैं, जो थोड़ी जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और जुनून के साथ पूरे किये जा सकते हैं। उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजने, पोलियो टीकाकरण करने, स्वच्छता रखने, जैविक खेती करने जैसे काम गिनाते हुए कहा कि ऐसे कामों के लिये सिर्फ संकल्प जरूरी है।

पंचायत राज दिवस भारत के कायाकल्प का संकल्प लेने का दिवस

प्रधानमंत्री ने कहा कि पंचायत राज दिवस भारत के कायाकल्प करने के संकल्प लेने का दिवस है। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधि जनता के सेवक हैं और वे अपनी ऊर्जा, शक्ति और दूरदर्शिता से गाँव की जिन्दगी बदल सकते हैं। उन्होंने मंडला जिले में बाँस की खेती को प्रोत्साहन देने का उदाहरण देते हुए कहा कि जनजातीय लोगों के हित में केन्द्र सरकार ने बाँस को पौधे की श्रेणी से हटाकर घास की श्रेणी में रखा है ताकि इसकी खेती आसानी से की जा सके और इसका अधिकाधिक उपयोग कर आदिवासी किसान अपनी आय में भी वृद्धि कर सकें। उन्होंने मधुमक्खी पालन और मनरेगा के अंतर्गत अप्रैल, मई और जून में पानी बचाने के कामों को शुरू करने जैसे छोटे काम का उदाहरण देते हुए कहा कि बड़ा परिवर्तन लाने वाले कुछ छोटे काम बजट के बिना भी पूरे किये जा सकते हैं। इसके लिये पंचायत राज प्रतिनिधियों को संवेदनशील और दूरदर्शी होने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 में भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं और 02 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती को 150 साल पूरे हो रहे हैं। उन्होंने पंचायत राज प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे गाँधी जी के सपनों का भारत निर्माण करने का संकल्प लें और उन्हें मिले पाँच साल को स्वर्णिम काल बनायें।

जय जवान-जय किसान, जय विज्ञान पर ध्यान दें

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मनेरी में 120

- **प्रजातंत्र की मजबूती के लिये पंचायतों को सक्षम और सशक्त बनाना होगा।**
- **अपने गाँव के लिये ऐसा काम करें, जो ऐतिहासिक साबित हो।**
- **जन-धन, वन-धन और गोवर्धन के सही और वैज्ञानिक उपयोग से ग्रामीण भारत का हो सकता है कायाकल्प।**
- **अपनी ऊर्जा, शक्ति और दूरदर्शिता से गाँव की जिंदगी बदल सकते हैं पंचायत प्रतिनिधि।**
- **पंचायत प्रतिनिधि बच्चों को स्कूल भेजने, पोलियो टीकाकरण करने, स्वच्छता रखने और जैविक खेती करने का लें संकल्प।**
- **जनजातीय शहीदों के बलिदान को याद रखने के लिये बनाया जायेगा संग्रहालय।**
- **गौंड जनजातीय संस्कृति अध्ययन के लिये स्थापित होगा केंद्र।**

करोड़ रुपये की लागत से लगने वाले एलपीजी गैस बॉटलिंग प्लांट की चर्चा करते हुए कहा कि इससे आस-पास के जिलों में आसानी से गैस प्रदाय होने लगेगी। इससे जुड़े रोजगार का निर्माण होगा। नये अवसर पैदा होंगे। लोगों को सरलता से गैस उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान पर ध्यान दें।

बेटियों को सम्मान देना सीखें और बेटों को जिम्मेदारी सिखायें

बेटियों के साथ दुराचार करने के मामले में फाँसी देने के लिये लाये गये अध्यादेश की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बेटियों को सम्मान देना सीखें और बेटों को जिम्मेदारी भी सिखायें। इससे बेटियों को सुरक्षा देने का काम आसान हो जायेगा। जो राक्षसी कार्य करेगा वह फाँसी पर लटकेगा। इसके लिये सामाजिक आंदोलन चलाने और समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान केन्द्र सरकार लोगों के दिल की आवाज सुनती है।

पंचायतराज मंत्री श्री तोमर

केन्दीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पंचायतराज दिवस पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए कहा कि आज भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। देश की ढाई लाख पंचायतों के 31 लाख से ज्यादा पंचायत प्रतिनिधियों को भारत के ग्रामीण विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का दिन है। उन्होंने कहा कि पंचायतें अब प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में सशक्त हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 13वें वित्त आयोग तक पंचायतों को केवल 60 हजार करोड़ रुपये मिलते थे। अब 14वें वित्त आयोग में पंचायतों को 2 लाख 292 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। यह धनराशि पंचायतों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में खर्च हो रही है।

मध्यप्रदेश में सर्वाधिक मकान गरीबों को

श्री तोमर ने कहा कि जल्दी ही हर गरीब का अपना मकान होगा। इस वर्ष एक करोड़ आवास बनाये जायेंगे। उन्होंने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश ने देश में सर्वाधिक मकान गरीबों को बना कर दिये हैं। उन्होंने 14 अप्रैल से 5 मई तक चलने वाले ग्राम स्वराज अभियान की जानकारी दी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से वर्ष 2022 तक नये भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के रूप में देश को सक्षम नेतृत्व मिला है। उनका दिल हर

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के रूप में देश को सक्षम नेतृत्व मिला है। उनका दिल हर पल भारत के लिये धड़कता है। उन्होंने भारत की शान, गौरव और सम्मान बढ़ाया है। देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। प्रदेश में कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। अक्टूबर 2018 तक हर घर में बिजली होगी। गरीबों के लिये 13 लाख 50 हजार मकान बनाये जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के हित में लागू किये गये निर्णयों और कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बनाये गये कार्यक्रमों को मध्यप्रदेश में तत्काल लागू किया जाता है।

पल भारत के लिये धड़कता है। उन्होंने भारत की शान गौरव और सम्मान बढ़ाया है। देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। प्रदेश में कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2018 तक हर घर में बिजली होगी। गरीबों के लिये 13 लाख 50 हजार मकान बनाये जा रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के हित में लागू किये गये निर्णयों और कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में बनाये गये कार्यक्रमों को मध्यप्रदेश में तत्काल रूप से लागू किया जाता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जनजातीय क्षेत्रों के बच्चे भी आईआईटी में पढ़ने जा रहे हैं। गरीब बच्चों के पहली से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है। अगले पाँच सालों में जनजातीय विकास पर दो लाख करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।

उन्होंने रामनगर के ऐतिहासिक मोती महल के संरक्षण और जीर्णोद्धार करने की घोषणा करते हुए कहा कि प्राचीन विष्णु मंदिर के जीर्णोद्धार का काम भी शुरू किया जायेगा। उन्होंने कहा कि गौंड जनजातीय संस्कृति अध्ययन केन्द्र स्थापित किया जायेगा।

प्रधानमंत्री ने मंडला में गौंड राजवंश की जीवन शैली पर आधारित प्रदर्शनी का किया अवलोकन

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने गौंड जनजाति की परंपरा, जीवन शैली पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में काष्ठ से बनी नारी प्रतिमा, गौंड जनजाति के बर्तन, वस्त्र, अस्त्र-शस्त्र प्राकृतिक जीवन शैली परंपरा का चित्रण किया गया है। प्रदर्शनी में बैगा जनजाति द्वारा प्रकृति से उपलब्ध फलों को सुखाकर गिलास-कप आदि के रूप में उपयोग करने का चित्रण था। इसके साथ ही उनके पूजा श्रृंगार का ढंग बताया गया था।

मंडला की पुरातत्व अधिकारी ने काष्ट शिल्प के संबंध में बताया कि विश्व में भारतीय नारी साड़ी परिधान से जानी जाती है। नारी का सम्मान बढ़े, उसके जीवन की रक्षा हो तथा एक प्रगतिशील नारी के रूप में भारतीय नारी की पहचान बने इस काष्ठ शिल्प प्रदर्शनी का यही उद्देश्य है। गौंड राजाओं के ध्वज स्तंभ में उल्लेख है कि यहां गौंड राजवंश के 63 नरेशों ने इस धरा पर शासन किया था।

पंचायत प्रतिनि

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस-2018 के अवसर पर मंडला के रामनगर में मोतीमहल के समीप देश के विभिन्न हिस्सों से आए करीब ढाई सौ पंचायत प्रतिनिधियों तथा

गाँव और समाज के समग्र विकास के लिए प्रधानमंत्री के आह्वान से प्रेरित हुए पंचायत प्रतिनिधि

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मंडला जिले के ऐतिहासिक स्थल रामनगर के नर्मदा तट पर राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2018 के अवसर पर पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया। इस समारोह में देश के विभिन्न राज्यों के पंचायत प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। इस समारोह में प्रधानमंत्री ने पंचायतों को सशक्त करने के कई अभिनव उपाय बताये, जिसमें जन-धन, वन-धन और गोबर-धन के माध्यम से ग्राम के विकास और उत्थान पर जोर दिया गया। उन्होंने शिक्षा, नवीन तकनीक, बेटियों का सम्मान व बेटों की राष्ट्र के लिए जिम्मेदारी का संकल्प लेकर कार्य करने तथा गांव और समाज के समग्र विकास की प्रेरणा दी जिससे पंचायत प्रतिनिधि प्रभावित हुए।

सिक्किम राज्य से आये पंचायत प्रतिनिधियों ने जहाँ प्रधानमंत्री के ग्रामीण विकास योजना की सराहना की, वहीं झारखण्ड राज्य के रामगढ़ जिले से आई महिला ने प्रधानमंत्री के उद्बोधन को प्रेरणादायी बताया। इस महिला ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के उद्बोधन से बहुत प्रभावित हुई हैं तथा अब वे अपनी पंचायत में जाकर बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देंगी और ग्राम पंचायत के एक भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगी। साथ ही बेरोजगारों के आर्थिक विकास, पौधारोपण व परिवार सुरक्षा पर काम करेंगी। सिक्किम राज्य के एक ग्राम की महिला ने मध्यप्रदेश सहित देश की पंचायतराज व्यवस्था की

धियों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

उत्कृष्ट कार्य के पुरस्कार प्राप्त अतिथियों के साथ फोटो उतरवाई और मंडला के गौंड राजवंश के ध्वज का सम्मान के साथ अवलोकन किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री पुरुषोत्तम सिंह रुपाला, मध्यप्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव, सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, श्री राकेश सिंह, राज्य सभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके, जिला पंचायत मंडला की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती मरावी, मध्यप्रदेश शासन के मंत्री, राज्यमंत्री विधायक एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

सराहना की। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले की ग्राम पंचायत घुड़सगांवकर के सरपंच ने कहा कि इस समारोह में प्रधानमंत्री ने पूरे भारतवर्ष में जो संदेश दिया है, उससे सभी को प्रेरणा मिली है। यहाँ से हर कोई एक अच्छा संकल्प लेकर जा रहा है। पंचायती राज में जो योजना कार्यान्वित हो रही है उसका लाभ अब लाभार्थी को घर तक मिल रहा है और उसके खाते में डायरेक्ट योजना राशि ट्रांसफर हो रही है। पहले काफी समस्या होती थी, किन्तु अब डिजीटलाईजेशन से अच्छी तरह से लोगों को लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर समस्या का हल निकलना चाहिए। सामान्य व्यक्ति और गांव के रहवासी की समस्या का हल होना चाहिए। इस समारोह से हम एक नया संकल्प लेकर जा रहे हैं।

महाराष्ट्र राज्य के ही अमरावती जिले की ग्राम पंचायत के सरपंच श्री नरेन्द्र जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के उद्‌बोधन से हमें एक नई प्रेरणा मिली है।

महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव का विकास होगा, तभी समग्र विकास हो पायेगा। हम हमारे गांव के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मंडला जिले की ग्राम पंचायत मानिकपुर की श्रीमती शांति बाई ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री ने आज जो संदेश दिया है हम उसका अनुसरण और पालन करेंगे। ग्राम पंचायत घुघरीमाल के सरपंच श्री अन्तूलाल मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री का संदेश जनता के हित में है और उनकी योजना सुखदायी है।

इसी प्रकार समारोह में उपस्थित अनेक प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व विभागीय मंत्री के विचारों से प्रभावित होकर अपनी पंचायत, समाज व देश को सशक्त करने के विचार अभिव्यक्त करते हुए कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रसन्नता व्यक्त की।

127वीं जयंती समारोह

बाबा साहब ने दिखाया करुणा, शांति और अहिंसा का रास्ता

भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जयंती समारोह में राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने कहा है कि आज देश को समर नहीं, समरसता की जरूरत है। श्री कोविन्द ने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा शांति, करूणा और अंहिसा का रास्ता चुना। राष्ट्र की अखण्डता के संदर्भ में बाबा साहब कहते थे कि 'वे पहले भारतीय हैं, बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं।' उन्होंने नागरिकों से बाबा साहब के सपनों के भारत का निर्माण करने में योगदान देने का आव्हान किया। राष्ट्रपति ने नागरिकों से कहा कि जीवन को सार्थक बनाने के लिये बाबा साहब के समरसता के संदेश को अपनाने का संकल्प लें।

राष्ट्रपति श्री कोविन्द ने महू में हर साल अम्बेडकर महाकुंभ आयोजित करने के लिये मध्यप्रदेश सरकार की सराहना की। उन्होंने कहा कि डॉ. अम्बेडकर की जन्म स्थली महू नागरिकों के लिये प्रेरणास्रोत है। नई पीढ़ी को यह समझना होगा कि आधुनिक भारत के निर्माण की नींव बाबा साहब ने रखी थी। दामोदर वैली, हीराकुंड जैसे बांध और वृहद बिजली परियोजनाएं लागू करने जैसे बड़े कामों के पीछे बाबा साहब की प्रगतिशील सोच थी। डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिलवाया। मजदूरों के काम के घंटे बारह से घटाकर आठ किये। महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दिलवाया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है।

देश को समर नहीं समरसता की जरूरत है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने हमेशा शांति, करुणा और अहिंसा का रास्ता चुना। राष्ट्र की अखंडता के संदर्भ में बाबा साहब ने कहा था कि वे पहले भारतीय हैं। बाद में भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। बाबा साहब के भारत का निर्माण करने में सभी नागरिक सहयोग करें। यह विचार राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने इंदौर जिले के महू में बाबा साहब की जन्मस्थली पर आयोजित 127वीं जयंती कार्यक्रम में व्यक्त किये।

श्री कोविन्द ने कहा कि बाबा साहब ने हमेशा भगवान बुद्ध के शांति और अंहिसा का मार्ग अपनाया। वे कहते थे कि जब विरोध के संवैधानिक उपकरण उपलब्ध हैं, तो हिंसात्मक तरीकों की कोई जरूरत नहीं है। वे महान विधिवेत्ता, विद्वान और समाज सुधारक थे। उनके बनाये संविधान की शक्ति से प्रजातंत्र जीवंत हुआ। कमजोर, वंचित और पिछड़े लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिला, जिससे वे देश की प्रगति में योगदान देने में सक्षम बने हैं। श्री कोविन्द ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में अम्बेडकर जन्म-स्थली महू में यह उनकी पहली यात्रा है। उल्लेखनीय है कि अम्बेडकर जयंती पर बाबा साहब की जन्म-स्थली महू में भ्रमण पर आने वाले वे पहले राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, वह समानता का मूल अधिकार देता है। इसके बाद सबसे बड़ा अधिकार मतदान का अधिकार है जो

- बाबा साहब की जन्मस्थली महू को भव्य स्मारक के रूप में किया गया विकसित।
- बाबा साहब के परिनिर्वाण स्थल अलीराजपुर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया।
- बाबा साहब की स्मृति से जुड़े पांच स्थल तीर्थ दर्शन योजना में होंगे शामिल।

लोकतंत्र का आधार है। वे कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब एक असाधारण विद्यार्थी थे। उन्होंने कहा कि समझदारी के बिना शिक्षा अधूरी है। जब पहला मंत्रिमंडल बना, तो डॉ. अम्बेडकर विधि मंत्री के रूप में शामिल हुए। वे उस समय मंत्रिमंडल के सदस्यों में सर्वाधिक डिग्री प्राप्त मंत्री थे। उन्होंने शिक्षा पर पूरा ध्यान केन्द्रित किया। उनका जीवन युवाओं के लिये अत्यंत प्रेरणास्पद है। श्री कोविन्द ने बताया कि बाबा साहेब ने मात्र 27 साल की उम्र में 'स्माल होल्डिंग इन इंडिया एण्ड रेमेडीज' शीर्षक से आलेख लिखकर स्वयं को उच्च-कोटि का अर्थशास्त्री साबित कर दिया था। उन्होंने हमेशा अहिंसा और करूणा का मार्ग अपनाया।

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि भारत रत्न डॉ. भीमराव अम्बेडकर न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि उनका आधुनिक भारत के निर्माण, कमजोर वर्गों और महिलाओं की उन्नत्ति में तथा सामाजिक समरसता में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार कमजोर वर्गों और महिलाओं के उत्थान के लिये निरंतर कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार ने भी 'सबका साथ-सबका विकास' के मार्ग पर चलते हुए सामाजिक न्याय और कौशल विकास के लिये ठोस कदम उठाये हैं। श्रीमती पटेल ने कहा कि बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने सभी से समाज में एकता, समरसता बनाये रखने तथा देश के नव-निर्माण में सहभागी बनने की अपील की।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर के जीवन और उनकी स्मृति से जुड़े पाँच स्थानों को मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में शामिल किया जायेगा। यह तीर्थ स्थान हैं बाबा साहब की जन्म-स्थली महू, लंदन स्थित वह मकान जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, दीक्षा भूमि नागपुर, परि-निर्वाण स्थल अलीपुर रोड बंगला, नई दिल्ली और चैत्य भूमि, मुम्बई जहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बाबा साहब उच्च कोटि के समाज सुधारक थे। वे सम्पूर्ण समाज के आदर्श थे, जो वंचितों, शोषितों और पीड़ितों के लिये जीवनभर संघर्ष करते रहे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलते हुए असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों के लिये अभूतपूर्व निर्णय लिये गये हैं। अब प्रदेश में कोई भी गरीब बिना मकान और जमीन के नहीं रहेगा। बच्चों को पहली कक्षा से लेकर पीएचडी तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी। उनका मुफ्त इलाज होगा। बिजली उन्हें फ्लेट रेट पर मिलेगी। मजदूर बहनों को गर्भावस्था के दौरान चार हजार रुपये मिलेंगे और प्रसव के बाद बारह हजार रुपये अपने स्वास्थ्य और बच्चे की देखरेख के लिये दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कमजोर वर्गों के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनैतिक उत्थान के लिये प्रतिबद्ध है। केन्द्रीय सामाजिक न्याय मंत्री श्री थावरचंद गेहलोत ने कहा कि डॉ. अम्बेडकर की स्मृति को जीवंत बनाये रखने के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुए। उन्होंने बताया कि बाबा साहब की शिक्षा स्थली लंदन का घर खरीदने से लेकर परि-निर्वाण स्थल अलीराजपुर रोड को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने एवं महू को भव्य स्मारक के रूप में विकसित करने जैसे कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हुए केन्द्र सरकार ने अनूठी योजनाएं और परियोजनाएं बनाई हैं, जिससे कमजोर और वंचित वर्गों को आगे बढ़ने में मदद मिल रही है।

पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के

कायाकल्प पर राष्ट्रीय कार्यशाला

जबलपुर के होटल विजन महल में 23 अप्रैल को पंचायतों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के कायाकल्प पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए केन्द्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि पंचायतों के मजबूत होने पर ही देश सशक्त और विकसित बनेगा। गांवों की समृद्धि और खुशहाली से देश तरक्की करेगा। तीन वर्ष पहले तक पंचायती राज दिवस का जो आयोजन हर वर्ष 24 अप्रैल को राजधानी दिल्ली तक सीमित रहता था। प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर राष्ट्रीय स्तर का आयोजन राज्यों में होने लगा है। सशक्त और मजबूत पंचायत प्रधानमंत्री का सपना है। प्रधानमंत्री लोकतंत्र की प्राथमिक पाठशाला ग्राम पंचायत की बुनियाद को मजबूत करने की दिशा में सदैव प्रयासरत रहते हैं। महिला सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक रानी दुर्गावती की कर्मस्थली मण्डला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय स्तर के पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन होने से इसका महत्व और बढ़ गया है। जहां देश का सबसे बड़ा प्रधान अर्थात देश का प्रधानमंत्री पंचायत प्रतिनिधियों से मिलने स्वयं आ रहे हैं।

पंचायती राज मंत्री श्री तोमर ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में 6 करोड़ शौचालय बनाये गये हैं। तीन लाख 50 हजार गांव खुले में शौच से मुक्त हुए हैं। वर्ष 2019 तक पूरा देश ओ.डी.एफ. हो जायेगा। पंचायतों के खुले में शौच से मुक्त होने से पंचायतों के साथ-साथ देश का भी मान बढ़ा है।

देश भर के 531 जिलों के 21 हजार 58 गाँवों में 14 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक चलने वाले राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत हितग्राहियों को चिन्हित सात योजनाओं का प्राथमिकता से लाभ दिलाने के कार्य में पंचायत प्रतिनिधि सहभागी बनें। जन-धन योजना के खाते खुलवाना, प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब वितरण, सौभाग्य योजना, बिजली कनेक्शन तथा शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष का लाभ दिलाने पंचायत पदाधिकारी आगे आयें। इस मौके पर केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 14वें वित्त आयोग के माध्यम से पंचायतों को न केवल पैसा दिया है बल्कि विकास योजनायें तैयार करने का अधिकार भी दिया है। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने अपने

उद्‌बोधन में कहा कि देश में परिवर्तन के लिए गाँवों में बुनियादी सुविधाओं का विकास जरूरी है।

गाँवों के स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनने पर ही भारत विश्व गुरू बन सकता है। केन्द्र सरकार द्वारा पंचायतों को आर्थिक मजबूती देने के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष राकेश सिंह ने पंचायती राज के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन के लिए माँ नर्मदा के पावन तट पर स्थित जबलपुर और मंडला का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त बनाने का सर्वाधिक प्रभावी तरीके से जोर देने का काम प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में हो रहा है। गांवों की समृद्ध परंपरा रही है, जहां छोटे-मोटे विवादों का निपटारा ग्राम स्तर में ही हो जाता था। गाँव के तालाब, कुएं व बावड़ियों की साफ-सफाई व गहरीकरण ग्रामीण स्वयं कर लेते थे। गांवों के लघु एवं कुटीर उद्योगों से निर्मित सामग्री का निर्यात दूसरे देशों को भी किया जाता रहा है। इन सबकी वजह से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।

कार्यशाला को भारत सरकार के पंचायतराज मंत्रालय के सचिव अमरजीत सिन्हा, अपर सचिव डॉ. बाला प्रसाद और शालिनी प्रसाद ने भी संबोधित किया।

कार्यशाला के दौरान पंचायतों में आर्थिक, विकास और आयोजना, पंचायतों में सामाजिक विकास और सतत् विकास लक्ष्य तथा युवा पंचायत नया भारत, नई सोच, डिजिटल पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प, स्वच्छ भारत अभियान, विषयों पर पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ विशेषज्ञों द्वारा चर्चा की गई। इस अवसर पर पंचायतों के प्रतिनिधियों ने अपनी-अपनी बातों को प्रमुखता से रखा।

कार्यशाला में जिला पंचायत अध्यक्ष मनोरमा पटेल, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास इकबाल सिंह बैंस, कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज सहित देश भर से आये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी व पंचायत प्रतिनिधि मौजूद थे।

धरातल से विकास का ताना-बाना

राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस के उपलक्ष्य में 23 अप्रैल को जबलपुर में विभिन्न सत्रों के तहत कार्यशाला तथा समूह चर्चा का आयोजन किया गया।

इस समूह चर्चा में विभिन्न राज्यों के पंचायतराज मंत्री, प्रदेश तथा अन्य राज्यों के 1500 से अधिक निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि तथा भारत सरकार और अन्य राज्यों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने 5 विषयों पर चर्चा की। चर्चा में शामिल विषय हैं- जीपीडीपी पंचायतों में आर्थिक विकास और आयोजना, पंचायतों में सामाजिक विकास और सतत् विकास, युवा पंचायत, नया भारत-नई सोच और डिजिटल पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का कायाकल्प और स्वच्छ भारत अभियान। समूहों में विभाजित विभिन्न विषयों पर गहन चिंतन तथा विचार-विमर्श किया गया। प्रत्येक समूह में त्रि-स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की पहली इकाई ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि तथा विषय विशेषज्ञ विभाग के अधिकारी शामिल थे।

चर्चा के दौरान क्षेत्र की आवश्यकता और क्षमता के आधार पर बातचीत हुई। इसमें एक तरफ पंचायत प्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में किये गये नवाचारों को साझा किया, विकास के लिये किये गये प्रयोगों को बताया। इससे नवीन और उत्कृष्ट कार्यों की प्रविधि सामने आयी। दूसरी ओर प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया। विकास के किसी क्षेत्र में वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या संभावनाएँ हैं और क्या होना चाहिए इस पर आधारभूत विचार-विमर्श हुआ। इससे विकास के लिए छूटे हुए बिन्दु और अपेक्षाएँ निकलकर आयीं। नवाचार के लिए नई कार्यशैली निर्मित करने की संभावनाएँ दिखाई दीं। समूह चर्चा में विकास के व्यवहारिक पक्ष का खाका तैयार हुआ। यह समूह चर्चा देश के सभी प्रांतों की स्थानीय आवश्यकता, क्षमता और संभावाओं को देखने समझने का अवसर था। इससे जो आवश्यकताएँ और सुझाव निकलकर आयेंगे, उन्हें केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को सौंपे जायेंगे। इस आधार पर विकास की योजनाओं को और परिष्कृत करने में सहयोग प्राप्त होगा। इस तरह इस वर्ष आयोजित राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस के अवसर पर धरातल से विकास का ताना बाना बुनने का प्रयास किया गया। इससे निश्चित ही गाँवों में बसे भारत का विकास संपुष्ट होगा।

● हेमलता हुरमाड़े

ग्राम स्वराज अभियान
भारत के कायाकल्प का संकल्प

सरकार ने ग्रामों की स्वायत्तता, समृद्धि और संपन्नता के लिए योजनाएं बनाईं और बाकायदा ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की। जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश से किया। यद्यपि उत्सव के रूप में इस अभियान की समयावधि 14 अप्रैल से 5 मई ही रखी गई। लेकिन यह सतत् चलने वाला कार्यक्रम है। इसका संकेत स्वयं प्रधानमंत्री ने किया और इसे भारत के कायाकल्प वाला अभियान बताया और कहा कि वर्ष 2022 तक गांवों को उन्नति के शिखर तक ले जाना है।

इतिहास के पन्नों में भारत के सोने की चिड़िया होने के अनेक वृत्तांत मिलते हैं। पूरी दुनिया पर भारत के आकर्षण, भारत के प्रभाव को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है कि संसार भर के नागरिक भारत आना चाहते थे, भारत को समझना चाहते थे और यदि एक दो लोग भी यहां से कहीं चले गए तो पूरी दुनिया उनकी अनुयायी हो जाती थी। भारत की यह प्रसिद्धि, यह प्रतिष्ठा केवल गांवों के कारण ही रही थी। ग्रामीण व्यवस्था न केवल आत्मनिर्भर थी अपितु इतनी समृद्ध थी कि उसी बुनियाद पर भारत सोने की चिड़िया बना, लेकिन वक्त के साथ गांव पिछड़ते गए, उजड़ते गए और देश तंगी की ओर मुड़ गया। गांव उन्नत तो देश उन्नत, गांव गरीब तो देश गरीब।

केंद्र और राज्य की मौजूदा सरकार ने अब पुनः अपनी प्राथमिकता की सूची में गांवों को लिया है। इसके लिए न केवल ग्रामों की स्वायत्तता, समृद्धि और संपन्नता के लिए योजनाएं बनाई हैं बल्कि बाकायदा ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत की। जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश से किया। यद्यपि उत्सव के रूप में इस अभियान की समयावधि 14 अप्रैल से 5 मई ही रखी गई। लेकिन यह सतत् चलने वाला कार्यक्रम है। इसका संकेत स्वयं प्रधानमंत्री ने किया और इसे भारत के कायाकल्प वाला अभियान बताया और कहा कि वर्ष 2022 तक गांवों को उन्नति के शिखर तक ले जाना है। कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए मध्यप्रदेश के लगभग सभी पंचायत प्रतिदिन मौजूद थे। प्रधानमंत्री श्री मोदी का पूरा भाषण संदेशों और भविष्य के दिशा-दर्शन से भरा था। उनके शब्दों में जहां भारत के समृद्ध होने का सपना था तो गांवों की वर्तमान दुरावस्था का दर्द भी। उनका संदेश इन शब्दों से स्पष्ट होता है कि उन्होंने यदि पंचायत प्रतिनिधियों को अपने काम को ऐतिहासिक बनाने पर जोर

दिया तो कार्य शैली में जुनून लाने की भी अपील की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी के इन शब्दों में वाकई कुछ नया और ज्यादा करने का संदेश है। नियमित और निर्धारित तरीके से काम करने से भी व्यक्ति आगे बढ़ता है, विकास दिखता है लेकिन यदि करने के तरीके में जुनून हो तो कीर्तिमान बनते हैं और वही बात दुनिया की नजर में सबसे ऊपर होती है।

यह भारत के गांवों और वहां के लोगों का जुनून ही तो था कि एक जमाने में सारे शिल्प, सारी कला और औद्योगिक उत्पादन का केंद्र गांव ही हुआ करते थे। जबकि फल, सब्जी, अन्न और वनोषधि का केंद्र भी भारत के गांव हुआ करते थे। मोदीजी का आह्वान होना जरूरी है। संभवतः इसीलिए इस अभियान के कुल आठ चरण हैं। जिन्हें सामाजिक न्याय दिवस, स्वच्छ भारत दिवस, उज्ज्वला दिवस, पंचायत राज दिवस, ग्राम स्वराज दिवस, आयुष्मान भारत दिवस, किसान कल्याण दिवस और आजीविका दिवस के रूप में बांटा गया।

अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल से हुई जो सामाजिक न्याय के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मतिथि होती है। इसके बाद विभिन्न तिथियों पर विभिन्न विकास की अनेक योजनाएं रही हैं, जो समय समय पर विभिन्न सरकारों ने लागू की हैं लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके परिणाम पर ज्यादा

इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता एक और यह भी है कि इसमें फंड की कमी नहीं होगी। इसका संकेत मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दिया था और इस अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट घोषणा की। अभियान को पूरा करने का लक्ष्य वर्ष 2022 रखा गया है। उस तिथि तक भारत के पूरे गांवों को स्वायत्त, समृद्ध और संपन्न बनाना। दो अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती को डेढ़ सौ साल पूरे होंगे। इसके साथ वह वर्ष भारत की आजादी का 75वां वर्ष भी है इसलिए अभियान की समापन तिथि अक्टूबर 2022 रखी गई है।

इस अभियान या इस कार्यक्रम की

और इस अभियान का उद्देश्य पुनः इसी जुनून को पैदा करने के लिए है। प्रधानमंत्री का पूरा संदेश इस सिद्धांत को समझाने के आसपास था कि आसमान को देखकर सपने तो बुने जा सकते हैं लेकिन जीवन की मजबूती जमीन से ही होगी। जनधन, वनधन, गोधन का केंद्र भारत के गांवों में है। इनका उपयोग और इनके संवर्धन से ही जीवन सुधरेगा एवं राष्ट्र मजबूत होगा। किसी भी व्यक्ति, परिवार, समाज अथवा राष्ट्र की मजबूती के लिए, समृद्धि के लिए कुछ बुनियादी बातें ही प्राथमिकता में होती हैं, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा आजीविका जैसी प्राथमिक जरूरतों का पूरा फोकस कर रहे हैं। इसके लिए एक तरफ वे यदि जन प्रतिनिधियों से जुनूनी जज्बों, समर्पण और संकल्प के साथ काम करने की अपील करते हैं तो दूसरी ओर प्रशासनिक तंत्र को अधिक सक्रिय रखना चाहते हैं। इसके लिए वे केवल जुबानी बात नहीं करते बल्कि होमवर्क भी करते हैं। मध्यप्रदेश आने से पहले प्रधानमंत्री भी पर्याप्त होमवर्क करके आए थे, प्रगति और कमजोरी के आंकड़े साथ लाए थे अपनी मध्यप्रदेश यात्रा में ग्राम स्वराज अभियान का शुभारंभ करने के बाद प्रधानमंत्री ने प्रदेश के उन कलेक्टरों से बातचीत की जहां के काम पिछड़े हैं।

दूसरी विशेषता यह है कि इसमें ग्रामीण जरूरतों और उत्पादन आधारित छोटे उद्योगों की शुरुआत करने का भी प्रावधान है। जिसमें बांस की खेती, मछली पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन, पशुपालन आदि पर भी जोर दिया गया है ताकि कृषि कार्य से बचे हुए समय का उपयोग किया जा सके। कई बार खेती की निर्भरता कठिनाई पैदा करती है। जिस साल फसल अच्छी नहीं हुई अथवा रकबा कम होता है। तब पलायन शहरों की ओर होने लगता है। रोजगार और जीवन की व्यवस्था के लिए संतुलन जरूरी है। यदि गांव में रोजगार उपलब्ध है तो नगरों की ओर

पलायन रुकेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में इन बातों का भी जिक्र किया और अपने कौशल के अनुरूप काम के प्रोत्साहन की अपील की।

कार्यक्रम की शुरुआत और श्री मोदी की रुचि एक तरफ इस अभियान के समय पर पूरा होने की उम्मीद बांधती है, वहीं अन्य अभियानों की भांति मध्यप्रदेश के अग्रणी होने की संभावना भी पहले दिन से दिखती है। इसके दो कारण हैं। एक तो मध्यप्रदेश उन प्रांतों में से एक है जिसमें काम करने की गति सबसे तेज है और जहां प्रधानमंत्री की घोषणाओं को लागू करने में प्राथमिकता दी जाती है। दूसरी बात यह भी कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं ग्रामीण विकास की ओर रुचि ले रहे हैं। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, असंगठित श्रमिकों और गरीब तबके के बच्चों की पढ़ाई का शत-प्रतिशत खर्चा उठाना, गरीबों के लिए मकानों की घोषणा गांवों में एक तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पहुंच रहा है तो वहीं मुख्यमंत्री की घोषणा से उसमें गति, गुणवत्ता एवं संख्या तीनों में वृद्धि होगी। इसका संकेत उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया था।

इसमें कोई शक नहीं कि गांव देश की बुनियाद है। गांवों को हर दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना होगा। यह आत्मनिर्भरता सभी क्षेत्रों में हो, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से भी।

जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। उन्होंने बकायदा शासन और जीवन का एक सिद्धांत दिया था जो भारत के पुरातन जीवन पर आधारित था। उनके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी इस बात पर जोर दिया और अब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे ज्यादा ध्यान गांवों पर है जो देश के कायाकल्प के लिए जरूरी भी है।

● **रमेश शर्मा**
लेखक वरिष्ठ पत्रकार व स्तंभकार हैं।

ग्राम स्वराज अभियान

सबका साथ, सब

मध्यप्रदेश में एक समरस, स्वच्छ, स्वस्थ और स्वावलम्बी समाज निर्माण के लिए ग्राम स्वराज अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में 14 अप्रैल 2018 से 5 मई 2018 तक 20 दिवसीय ग्राम स्वराज अभियान की श्रृंखला आयोजित है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सौहार्द्र को बढ़ाना, गरीब परिवारों तक पहुँच कायम करना और शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का लाभ पहुँचाना है। संकल्प है कि कोई भी वंचित इस लाभ से शेष न रहे। अभियान में उज्ज्वला योजना, मिशन इन्द्रधनुष, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शत-प्रतिशत गांवों तक पहुँचाने का लक्ष्य है। इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बहुल गाँवों में लोक कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्राम स्वराज अभियान के उद्देश्य

- पंचायत और ग्राम सभाओं की क्षमता और प्रभाव में वृद्धि करना।
- पंचायतों में लोकतांत्रिक निर्णय लेने और जवाबदेही में लोगों की भागीदारी बढ़ाना।
- पंचायतों की संस्थागत संरचना और क्षमता निर्माण को मजबूत बनाना।
- संविधान और पैसा अधिनियम के अनुसार पंचायतों के अधिकार और जिम्मेदारियों को बढ़ावा देना।
- ग्राम सभाओं को मजबूत बनाना और पंचायत प्रणाली को भीतरी रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए मजबूत करना।

ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत होने वाले कार्यक्रम

सामाजिक न्याय दिवस

यह अभियान 14 अप्रैल को भारत रत्न, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव

का गाँव, सबका विकास

अम्बेडकर की जयंती से आरंभ हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने समतावादी समाज के निर्माण, सामाजिक न्याय और गाँव की तमाम दुर्व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए अभियान छेड़ा था। इसीलिए सरकार ने यह अभियान उनकी जन्मतिथि पर आरंभ किया और उन्हीं को समर्पित किया है।

डॉ. अम्बेडकर की जयंती अवसर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। देश भर में आयोजित इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संबोधित किया। सभी पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया गया।

डॉ. अम्बेडकर के विचार, आदर्श, चिंतन, मंथन और कार्यशैली पर केन्द्रित यह आयोजन समाज को एक सूत्र में बांधने वाला और समरस समाज के निर्माण के लिए प्रेरक रहेगा। इसी दिन जाति, आय, प्रमाण पत्र, छात्रवृत्ति के लिए पंजीकरण और बैंक खातों को आधार से जोड़ने के लिए देशभर में शिविरों का आयोजन किया गया। ग्राम सभा में डॉ. अम्बेडकर के आदर्श, व्यक्तित्व और कृतित्व को लोगों तक पहुँचाया गया।

स्वच्छ भारत पर्व

18 अप्रैल 2018 को स्वच्छ भारत पर्व के तहत स्वच्छता अभियान कार्यक्रम आयोजित किये गये। प्रदेश के प्रत्येक गाँव में साफ-सफाई तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के बारे में जागरूक किया गया। गाँवों को खुले में शौच से मुक्त करने, शौचालय के उपयोग और निरन्तरता को लेकर जागृत किया। 2 अक्टूबर 2019 तक समूचे प्रदेश को खुले में शौच से मुक्त करने के आह्वान के साथ जो गाँव खुले में शौच से मुक्त नहीं हुए थे उन्हें खुले में शौच से मुक्त करने तथा जो शौच मुक्त हो गये थे उन्हें निरन्तरता के लिए प्रेरित किया गया। इस दिन प्रदेश भर में स्थानीय लोग शासन-प्रशासन, जन प्रतिनिधि सभी ने मिलकर रैली, प्रचार-प्रसार, निगरानी आदि के माध्यम से स्वच्छ भारत पर्व का आयोजन सम्पन्न किया।

उज्ज्वला पंचायत

20 अप्रैल 2018 को उज्ज्वला पंचायत के माध्यम से उज्ज्वला योजना की जानकारी दी गयी। 15,000 गाँवों में एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य तय था। एलपीजी प्रदान करने के साथ इसके उपयोग और सुरक्षा उपायों को भी बताया गया।

पंचायत राज दिवस

24 अप्रैल 1993 को 73वाँ संविधान संशोधन लागू हुआ था। त्रि-स्तरीय पंचायतराज व्यवस्था के अमल ने गाँवों की तस्वीर बदल दी है। पंचायतराज दिवस पंचायतराज के सुदृढ़ीकरण और विकास की आधारभूत संरचना की समृद्धि के साथ विकास का आयोजन है। 24 अप्रैल, 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मध्यप्रदेश के मंडला से देश को संबोधित किया। इसका सीधा प्रसारण देश भर की ग्राम सभाओं में किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली सर्वश्रेष्ठ पंचायत पुरस्कृत हुईं। देश भर से आये प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पंचायत

राज संस्थाओं के प्रतिनिधि पुरस्कृत हुए। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए दिये गये मार्गदर्शन से पंचायत प्रतिनिधि प्रेरित और अभिभूत हुए। एक नवीन ऊर्जा का संचार हुआ। निश्चित ही इसका प्रभाव क्षेत्र में कार्य पर पड़ेगा। यह प्रतिनिधि दुगुनी ऊर्जा के साथ अपनी पंचायतों के निर्माण और विकास कार्य में लगेंगे।

ग्राम शक्ति अभियान, 28 अप्रैल 2018

28 अप्रैल 2018 को ग्राम शक्ति अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना और सौभाग्य योजना की जानकारी, आवंटन और अनुभव बांटा जाना शामिल है। इस दिन जिला मुख्यालय स्तर पर स्टाल एवं काउंटर लगाये गये जहां एलईडी बल्ब उपलब्ध कराये गये। सरकार का संकल्प है कि 2022 तक हरेक का अपना आवास हो। हमारे लिये हर्ष का विषय है कि मध्यप्रदेश आवास निर्माण में देश में सबसे आगे है। इस दिन प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों की सूची का वाचन विशेष ग्राम सभा में किया गया।

आयुष्मान भारत, 30 अप्रैल 2018

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा के साथ गरीब तबके को राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा से सुरक्षित किया है। यह योजना 15 अगस्त 2018 से आरंभ होनी है। योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस सम्पूर्ण योजना की जानकारी देश के प्रत्येक ग्रामीण तक पहुँचाने, लोगों में इस योजना की समझ बनाने और ग्राम पंचायत स्तर पर लाभार्थियों की सूची का प्रमाणीकरण करने के लिए 30 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत पर्व मनाया गया।

किसान कल्याण दिवस, 2 मई 2018

सरकार का संकल्प है खेती की आय को दुगुना करना। इसके लिए प्रदेश में किसान कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। दो मई को प्रदेश भर में किसान कल्याण कार्यशालाओं के माध्यम से किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के साथ प्रशिक्षण दिया जायेगा। कृषि आय को बढ़ाने के लिए दिये जाने वाले उपायों को लेकर विस्तृत जानकारी दी जायेगी। किसान कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों को सम्मिलित किया गया है।

आजीविका दिवस 5 मई 2018
आजीविका और कौशल विकास मेलों का आयोजन

ग्राम स्वराज अभियान का अन्तिम दिवस 5 मई सफल गाथाओं का उत्सव आयोजन है। इस दिन आजीविका और कौशल विकास मेलों का आयोजन देश के 4000 विकासखण्डों में किया जाना है। इसमें देश की एक लाख महिलाओं और युवाओं द्वारा अपनी सफलता के सूत्र को साझा किया जायेगा। मध्यप्रदेश के संदर्भ में देखें तो म.प्र. राज्य आजीविका मिशन द्वारा गठित 2 लाख स्व-सहायता समूहों की महिलाओं ने आर्थिक स्वावलंबन का नया कीर्तिमान रचा है। यह दिन स्व-सहायता समूह की इसी कीर्ति को विस्तृत और विस्तारित करने का अवसर है।

● **विजय देशमुख**

उज्ज्वला पंचायत

एक पहल महिला सशक्तिकरण की
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

ग्राम स्वराज अभियान के तहत 20 अप्रैल का दिन उज्ज्वला पंचायत के रूप में मनाया गया। इस दिन देश में 15,000 स्थानों पर एलपीजी कनेक्शन बांटे गये और इसके उपयोग और सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गई।

प्रदेश की सभी पंचायतों में इसका आयोजन हुआ। ग्राम सभा के माध्यम से गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की सूची वाचन तथा इच्छुक हितग्राही की सूची का अवलोकन किया गया।

क्या है उज्ज्वला योजना

उज्ज्वला योजना समाज कल्याण की दिशा में एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर उत्तरप्रदेश के बलिया जिले से हुई। शुभारंभ अवसर पर जिले के ही 10 बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किये गये थे। सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2020 तक 8 करोड़ गरीब परिवारों की निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 3 करोड़ 26 लाख महिलाओं को गैस कनेक्शन प्रदान किये जा चुके हैं। इसका लाभ अंत्योदय, अन्न योजना के सभी हितग्राही, प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सभी महिलाओं सहित अन्य पात्र परिवार प्राप्त कर सकते हैं।

महिलाओं को स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इस योजना का लक्ष्य लगभग 8000 करोड़ रुपये रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की गिव इट अप मुहिम के तहत एक करोड़ से अधिक सक्षम लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी है।

इस योजना का उद्देश्य गरीबों के किचन को धुआं मुक्त करना। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य को सुरक्षित करना है। यह आवश्यक भी है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार परम्परागत चूल्हा जलाने

ग्राम स्वराज अभियान निरन्तर चलने वाला अभियान है। देश भर में एक दिन, एक साथ 20 अप्रैल को उज्ज्वला पंचायत का आयोजन कर ग्राम पंचायत स्तर तक उज्ज्वला योजना को पहुँचाने, इसका लाभ प्राप्त करने और इसके सभी पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया। उज्ज्वला योजना से हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया हर गरीब को गैस कनेक्शन पहुँचाने तक जारी रहेगी। निश्चित ही उज्ज्वला योजना महिलाओं के स्वस्थ जीवन और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

से महिलाएं जितना धुआं सांस के माध्यम से अंदर ले जाती हैं। वह एक घंटे में 400 सिगरेट जलने के बराबर होता है। इसमें फेफड़े तथा हृदय संबंधी बीमारियाँ होती हैं।

आपकी जानकारी के लिए उज्ज्वला योजना का विस्तृत विवरण प्रकाशित किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त करने वाले हितग्राही हैं :-

- **सामाजिक, आर्थिक जनगणना, 2011 के डाटाबेस में निम्न श्रेणी में से कम से कम एक वंचित श्रेणी के परिवार :-**
- कच्ची दीवार एवं कच्चे छतयुक्त एक कमरे में रहने वाले परिवार।
- ऐसे परिवार जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य नहीं है।
- ऐसे परिवार जिसमें मुखिया महिला है एवं जिसमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है।
- ऐसा दिव्यांग (विकलांग) सदस्य वाला परिवार जिसमें कोई भी सक्षम शरीर वाला वयस्क सदस्य नहीं है।
- अनुसूचित जाति-जनजाति के परिवार।
- ऐसे परिवार जिसमें कोई शिक्षित वयस्क सदस्य 25 वर्ष से अधिक आयु का नहीं है।
- ऐसे भूमिहीन परिवार जिनकी आजीविका का मुख्य साधन मानव श्रम (Manual Casual Labor) है।

सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के डाटाबेस के अलावा बी.पी.एल. परिवारों की निम्न नवीन श्रेणियों को सम्मिलित किया गया है :-

1. **अंत्योदय अन्न योजना के परिवार -** समग्र डाटाबेस।
2. **प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के हितग्राही -** जनपद पंचायत का डाटाबेस।
3. **समस्त अनुसूचित जाति, जनजाति के परिवार -** अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) समग्र डाटाबेस से।
4. **समस्त वनवासी -** वन विभाग द्वारा प्रमाणित ग्रामों में समग्र डाटा का बेस एवं वन पट्टाधारी परिवारों का डाटा।

इस श्रेणी के हितग्राहियों के पास पूर्व से गैस कनेक्शन नहीं होने पर ही योजना के तहत गैस कनेक्शन की पात्रता होगी।

गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

- KYC फार्म (खाली फार्म गैस एजेन्सी से प्राप्त किये जाएं)
- परिवार के समस्त सदस्यों के आधार नंबर।
- महिला मुखिया का बैंक खाता नंबर।
- मोबाइल नंबर।
- नवीन पात्रता श्रेणी के हितग्राहियों के लिए बी.पी.एल. प्रमाण-पत्र एवं संबंधित श्रेणी का दस्तावेज एवं समग्र परिवार आईडी की छायाप्रति।

आवेदन कहाँ करें

हितग्राही द्वारा आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन नज़दीकी गैस एजेन्सी अथवा पंचायत/नगरीय निकाय/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के कार्यालय, उचित मूल्य दुकान पर जमा किया जा सकता है।

गैस एजेन्सी द्वारा आवेदन के परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर गैस कनेक्शन हेतु सूचित किया जाता है।

गैस कनेक्शन प्राप्त करने हेतु किसी भी प्रकार की समस्या होने पर गैस एजेन्सी पर संपर्क किया जा सकता है। निदान न होने पर सीएम हेल्पलाइन के टोल फ्री नबंर 181 पर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा उपलब्ध है।

LPG उपयोग के संबंध में आवश्यक जानकारी तथा सावधानियाँ

- LPG सिलेण्डर हमेशा सीधा खड़ा रखें।

- गैस चूल्हा सिलेण्डर से कम से कम 6 इंच ऊपर किसी समतल स्थल पर रखें एवं खाना हमेशा खड़े रह कर बनायें।
- चूल्हे को ऐसी जगह रखें, जहां बाहर से सीधी हवा न लगे।
- रसोई में गैस सिलेण्डर के अलावा किसी अन्य ज्वलनशील वस्तुओं का प्रयोग न करें।
- चूल्हा जलाते समय पहले माचिस की तीली जलाएं उसके बाद गैस ऑन करें।
- भोजन पकाते समय कोई और अन्य कार्य न करें बल्कि चूल्हे के पास मौजूद रहें। हमेशा सूती वस्त्र, एप्रेन पहनकर खाना बनायें।
- भोजन पकाते समय चूल्हे पर रखे गर्म बर्तन को पल्लू से नहीं पकड़ें।
- रात को सोते समय या बाहर जाते समय रेग्यूलेटर को अवश्य बंद करें।
- प्रत्येक 5 वर्ष में अपना सुरक्षा हॉज़ पाइप अवश्य बदलें।
- गैस सिलेण्डर अथवा चूल्हे में से किसी की भी मरम्मत की कोशिश आप स्वयं न करें।

गैस की गंध महसूस करने पर तुरंत निम्न कार्यवाही करें:-

- गैस की गंध आने पर बिजली का स्विच, लाइटर, माचिस न जलाएं सभी खिड़की दरवाजे खोल दें।
- सिलेण्डर से रिसाव महसूस होने पर रेग्यूलेटर को सिलेण्डर से हटाकर सेफ्टी कैप लगाएं और सिलेण्डर को खुले में रख कर गैस एजेन्सी को सूचित करें।
- किसी भी एल.पी.जी. रिसाव समस्या हेतु अपने LPG वितरक से या हेल्पलाइन नबंर 1906 पर संपर्क करें।

LPG उपयोग से होने वाले लाभ

- LPG खाना बनाने हेतु स्वच्छ एवं सहज ईंधन है।
- लकड़ी एवं कंडे आदि से भोजन पकाने में होने वाले धुएं आदि से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभाव से बचाव।
- जलाऊ लकड़ी के संग्रहण और खाना बनाने में लगने वाले समय और ऊर्जा की बचत होती है।
- जलाऊ लकड़ी एवं अन्य ईंधन से खाना बनाने के कारण पर्यावरण पर होने वाले दुष्प्रभाव और जंगल की कटाई आदि पर रोक लगेगी।

क्या लाभ दिया जा रहा है योजना में

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हितग्राहियों को गैस कनेक्शन जारी करने के लिए निम्न सामग्री निःशुल्क प्रदान की जाती है:-

- गैस सिलेण्डर की प्रतिभूति की राशि रुपये 1250
- रेग्यूलेटर की राशि रुपये 150
- सुरक्षा पाईप की राशि रुपये 100
- इंस्टॉलेशन व्यय राशि रुपये 75
- ब्लू बुक की राशि रुपये 25 कुल राशि रुपये 1600
- इसके अतिरिक्त प्रथम रिफिल की राशि रुपये 661.50 एवं गैस चूल्हे की राशि रुपये 990 के लिए ब्याज रहित ऋण की सुविधा उपलब्ध है, जिसका समायोजन 6 रिफिल प्राप्ति के बाद देय अनुदान राशि रुपये 179 से किया जाता है।

योजना का लाभ लेने के लिए कहाँ करें संपर्क

योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय से संपर्क कर सकते हैं। LPG संबंधी शिकायतों अथवा जानकारी के लिए ऑयल कंपनी के **टोल फ्री नबंर पर 1800 2333 555** पर कॉल कर सकते हैं।

ग्राम स्वराज अभियान निरन्तर चलने वाला अभियान है। देश भर में एक दिन, एक साथ 20 अप्रैल को उज्ज्वला पंचायत का आयोजन कर ग्राम पंचायत स्तर तक उज्ज्वला योजना को पहुँचाने, इसका लाभ प्राप्त करने और इसके सभी पक्षों को समझाने का प्रयास किया गया। उज्ज्वला योजना से हितग्राहियों को लाभ पहुँचाने की प्रक्रिया हर गरीब को गैस कनेक्शन पहुँचाने तक जारी रहेगी। निश्चित ही उज्ज्वला योजना महिलाओं के स्वस्थ जीवन और सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है।

● मनोज खरे
संयुक्त संचालक, जनसंपर्क

ग्राम स्वराज अभियान
आयुष्मान भारत

सबके स्वास्थ्य की सुरक्षा और आरोग्य की पहल

देश में 10 करोड़ से अधिक परिवारों के स्वास्थ्य लाभ के लिए बनी 'आयुष्मान भारत योजना', दुनिया की सबसे बड़ी शासकीय योजना है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती और संबंधित खर्च के लिए वार्षिक 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर किये जाने का प्रावधान है। आगामी 15 अगस्त 2018 से शुरू होने वाली इस योजना का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुँचे इसलिए ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्रामसभा के माध्यम से इस योजना की जानकारी पहुँचाई गयी। आयुष्मान भारत योजना में पात्र परिवारों की जानकारी का प्रकाशन तथा वाचन संबंधित कार्य पंचायत सचिव के द्वारा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में किया गया।

ग्राम स्वराज अभियान के तहत 30 मई को विशेष ग्राम सभा का आयोजन कर, 'आयुष्मान भारत योजना' की जानकारी दी गयी तथा सूची में पात्रता की पुष्टि की गयी। देश में 10 करोड़ से अधिक परिवरों के स्वास्थ्य लाभ के लिए बनी आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी शासकीय योजना है। इसमें हर परिवार को अस्पताल में भर्ती और संबंधित खर्च के लिए वार्षिक 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर किये जाने का प्रावधान है। आगामी 15 अगस्त 2018 से शुरू होने वाली इस योजना का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुँचे इसलिए ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्रामसभा के माध्यम से इस योजना की जानकारी पहुँचाई गयी। आयुष्मान भारत योजना में पात्र परिवारों की जानकारी का प्रकाशन तथा वाचन संबंधित ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में किया गया।

ग्राम स्वराज अभियान के तहत 30 अप्रैल का दिन आयुष्मान भारत दिवस देशवासियों की स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षा पर केंद्रित था। इसमें मिशन इंद्रधनुष को लेकर विशेष अभियान चलाया गया। इसमें छूटे हुए सभी बच्चों का टीकाकरण, लक्षित गाँवों में 90 प्रतिशत टीकाकरण। देश भर में 30 करोड़ बच्चे तथा 80 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षित किये जाने का लक्ष्य था।

मध्यप्रदेश में मिशन इंद्रधनुष के तहत 23 से 27 अप्रैल तक प्रदेश के 43 जिलों के 404 चिन्हित गाँवों में टीकाकरण अभियान चलाया गया। इस अभियान में दो वर्ष तक की उम्र के 3 हजार 300 बच्चों और एक हजार 200 गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के इस लक्ष्य को पूर्णतः सुनिश्चित करने के लिए यह टीकाकरण अभियान मई और जून माह में भी 23 से 27 तक चलाया जायेगा। प्रदेश में दिसम्बर 2018 तक 90 प्रतिशत से अधिक टीकाकरण का लक्ष्य है।

ग्राम स्वराज अभियान के तहत लक्षित

गाँवों में मंदसौर जिले के ग्राम झकरता और टीकमगढ़ जिले के ग्राम गणेशगंज खास में शत-प्रतिशत टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने इन गाँवों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से पुरस्कृत करने की अनुशंसा भी की है।

उल्लेखनीय है कि इस अभियान में नई टीकाकरण सारणी और टीकाकरण की जानकारी के लिए प्रचार-प्रसार सामग्री भी वितरित की गयी।

आयुष्मान भारत योजना

देश में 15 अगस्त 2018 से 'आयुष्मान भारत योजना' लागू की जायेगी। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन द्वारा लागू होगी।

इस योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधार की जनगणना में चिन्हित D1, से D7 श्रेणी (D6 श्रेणी को छोड़कर) के परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जायेगा।

चूंकि सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना वर्ष 2011 पर आधारित है। तब से लेकर अब तक इसके तहत आने वाले परिवारों की संख्या और संरचना में काफी परिवर्तन हो गया है। परिवार में जन्म-मृत्यु विवाह से सदस्यों में कमी तथा बढ़ोतरी हुई है। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सूची में से सदस्यों को जोड़ना तथा विलोपित किये जाने का कार्य किया जाना है। यह कार्य 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस के तहत विशेष ग्राम सभा में किया गया।

इस योजना के क्रियान्वयन के पहले पात्र परिवारों की सूची को अद्यतन करने का कार्य लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मैदानी अमले द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया जायेगा।

इसके लिए जिले में एक नोडल अधिकारी और आवश्यक अमला नियुक्त किये जाने का प्रावधान है। पात्र परिवारों की जानकारी एकत्र करने और उसके सत्यापन के लिए विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों तथा अन्य स्टाफ को प्रशिक्षण जिला स्तर पर दिये जाने का प्रावधान है। पात्र परिवारों की जानकारी के एक पृष्ठ में 8 परिवारों की जानकारी शामिल रहेगी। जिसमें परिवार के मुखिया का नाम एवं परिवार के सदस्यों के नाम होंगे।

इस जानकारी में परिवार के मुखिया का मोबाइल नम्बर, राशन कार्ड का नम्बर, परिवार में शामिल नए तथा कम हुए सदस्यों की जानकारी शामिल की जानी है।

अतः राशन कार्ड के नम्बर की जानकारी के स्थान पर परिवार की समग्र आईडी की जानकारी एकत्र की जायेगी। यह सभी जानकारी एकत्र करने की तिथि 18 से 22 अप्रैल तय की गई।

परिवारों की सूची प्राप्त होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पात्र परिवारों की सूची में उल्लेखित एक्टीवेट कोड को फीड किया गया। इस जानकारी के आधार पर जिला तथा विकासखण्ड स्तर पर प्रिंटआउट निकाला गया। यह कार्य 18 अप्रैल 2018 तक पूर्ण कर लिया गया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 30 अप्रैल 2018 को 'आयुष्मान भारत दिवस' के अवसर पर विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया। इस विशेष ग्रामसभा के दौरान पंचायत सचिव द्वारा पात्र परिवारों की सूची का वाचन किया गया। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले परिवारों की संख्या लगभग 83 लाख है। जिसमें शहरी क्षेत्र के 15 लाख परिवार शामिल हैं।

● **अभिषेक सिंह**

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस के अवसर पर
मंडला जिले के रामनगर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस के अवसर पर जनजातियों के
समग्र विकास के लिए आगामी पाँच वर्षों का रोडमैप पुस्तक का लोकार्पण किया।

गोंड राजाओं का ध्वज स्तम्भ।

राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस के अवसर पर
प्रदर्शित गोंड शिल्प प्रदर्शनी।

राष्ट्रीय पंचायतराज दिवस के अवसर पर शामिल प्रतिनिधि।

बुजुर्गों को एयर कंडीशनर

वृद्ध आश्रम की सौगात

प्रदेश का पहला एयर कंडीशनर वृद्ध आश्रम एक वर्ष में सागर जिले के गढ़ाकोटा मैं बन कर तैयार हो जाएगा। इसकी आधारशिला प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने 7 अप्रैल 2018 को रखी। यह वृद्धाश्रम गढ़ाकोटा के बिंदी टिगड्डा, कंपनी बाग में सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग के द्वारा 3.29 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। यह वृद्धाश्रम शासकीय तौर पर बनाया जाने वाला प्रदेश का पहला वातानुकूलित वृद्धाश्रम होगा जो एक वर्ष की अवधि में बनकर तैयार हो जाएगा इसमें वृद्धजनों के निवास के लिए सर्वसुविधायुक्त स्वच्छ व सुंदर कमरे होंगे। उनके मनोरंजन के साथ-साथ स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था भी वृद्धाश्रम में की गई है, वृद्ध आश्रम में मनोरंजन कक्ष, पुस्तकालय, हल्की एक्सरसाइज के लिए आधुनिक जिम और आधुनिक रसोई का प्रावधान किया गया है। जिसमें वृद्धजनों को स्वच्छ और स्वस्थ पौष्टिक भोजन देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। बुजुर्गों को सुबह शाम का नाश्ता, दोपहर में भोजन, शाम को चाय बिस्किट रात्रि में स्वादिष्ट भोजन दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही विशेष तीज-त्यौहार तथा अन्य अवसरों पर स्वरुचि भोज का प्रोविजन किया गया है।

वृद्ध आश्रम में सभी धर्मों के अनुयाई अपने-अपने धर्म और मत के अनुसार ईश्वर की पूजा कर सकें, इस उद्देश्य के एक सर्वधर्म पूजा घर बनाने की व्यवस्था भी इस आधुनिक वृद्ध आश्रम में की गई है। वृद्ध आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के नियमित साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चिकित्सकों का दल भी तैनात किया जाएगा। साथ ही वृद्ध आश्रम परिसर में आकस्मिक स्थिति का सामना करने के लिए आधुनिक एम्बुलेंस रखने का निर्णय भी लिया गया है। वृद्धाश्रम में यह सभी सुविधाएं बुजुर्गों को निशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। गढ़ाकोटा का यह आधुनिक वृद्ध आश्रम प्रदेश का सर्वसुविधायुक्त वृद्ध आश्रम होगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री गोपाल भार्गव का मत है कि प्रदेश में अन्य स्थानों पर भी इस तरह के वृद्ध आश्रम बनाने का काम सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा भविष्य में किया जाएगा।

● **अनिल वशिष्ठ**
सहायक सूचना अधिकारी, जनसंपर्क

- मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद जिले के ग्राम कीरतपुर में किया पैलेट फीड प्लांट का लोकार्पण।
- श्रमिकों के कल्याण के लिये आयोजित किये जा रहे हैं असंगठित श्रमिक सम्मेलन।
- प्रदेश में कोई भी गरीब नहीं रहेगा आवासहीन।
- श्रमिकों के बच्चों की पहली कक्षा से पी.एच.डी. तक की फीस भरेगी राज्य सरकार।

महिला सशक्तिकरण की पहचान बन रही हैं आदिवासी महिलायें

गरीबी से लड़कर कैसे जीता जाता है। यह आदिवासी महिला समूहों की महिलाओं ने कर दिखाया है। आदिवासी मुर्गीपालन महिला समूहों द्वारा मुर्गीपालन का अद्‌भुत कार्य किया जा रहा है। आदिवासी महिलायें महिला सशक्तिकरण की पहचान बन गई हैं। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद जिले के केसला विकासखंड के ग्राम कीरतपुर में पैलेट फीड प्लांट का लोकार्पण करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई की क्षमता साढ़े सात लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर चालीस लाख हेक्टेयर कर दी है। श्री चौहान ने सरकार की प्राथमिकता "गरीबी मिटाओ, गरीबों को ऊपर लाओ" है। जिनके पास संसाधन नहीं हैं उन्हें शासन, संसाधन उपलब्ध करा रहा है। अब कोई गरीब आवासहीन नहीं रहेगा। इसके लिये पट्टे देने का अभियान चलाया गया है। आगामी 4 वर्षों में सभी पात्र गरीबों को आवास बनाकर दिए जायेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीयन का कार्य किया गया है। पंजीयन के बाद श्रमिकों को अनेक शासकीय योजनाओं से लाभांवित किया जाएगा। श्रमिकों के बच्चों की कक्षा पहली से लेकर पीएचडी करने तक की फीस सरकार भरेगी। श्रमिकों को निःशुल्क इलाज मुहैया कराया जायेगा। यदि श्रमिक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को 2 लाख की राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि श्रमिक की मृत्यु दुर्घटना में हो जाती है, तो 4 लाख की राशि दी जाएगी। अंत्येष्टि के लिए भी 5 हजार की राशि परिजनों को दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों के जीवन-स्तर को बेहतर बनायेंगे। उन्होंने कहा कि केसला, भौंरा एवं सुखतवा लोगों के लिए एक मॉडल है क्योंकि यहाँ कि आदिवासी महिलाएँ महिला सशक्तिकरण और गरीबी हटाओ की प्रतीक हैं।

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि यहाँ की महिलाओं की आमदनी बढ़ाई जाएगी, बाजार कितना मिल सकता है, इसकी व्यवस्था की जाएगी। साथ ही ऐसी समिति जो मुर्गीपालन में लगी है, उनकी हर संभव मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर महिलाएँ अचार, पापड़, बड़ी बना रही हैं। उनका मुख्य उद्देश्य भी गरीबी दूर करना ही है और राज्य सरकार उनकी गरीबी दूर करने में हरसंभव सहायता देगी।

मुख्यमंत्री ने एमपीडब्ल्यू पीसीएल के पदाधिकारियों का अभिनंदन करते हुए कहा कि शीघ्र ही वे इन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आदिवासी महिलाओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुर्गीपालन के बारे में जानकारी लेंगे।

कोदरिया पंचायत

दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित

चौबीस अप्रैल 2018 राष्ट्रीय पंचायत दिवस, पंचायत प्रतिनिधियों के लिए ऐतिहासिक क्षण था। इस दिन देश की 136 पंचायती राज संस्थाओं को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। मध्यप्रदेश से 9 पंचायतें तथा 2 जनपद जिला पंचायतें पुरस्कृत हुईं। इसके लिए पंचायत प्रतिनिधियों से पंचायती राज व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर ऑनलाइन पूछे गये प्रश्नों और फिर भौतिक सत्यापन के उपरान्त इन्हें उत्कृष्ट घोषित किया गया। कार्य की कठिन परीक्षा में धरातल पर उत्तीर्ण होने के बाद यह प्रतिनिधि चयनित हुए। चयनित प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पुरस्कृत किया जाना अद्‌भुत क्षण था। इससे पंचायत प्रतिनिधियों में नया जज्बा विकसित हुआ है। मध्यप्रदेश की पुरस्कृत पंचायतों में से इन्दौर जिले की कोदरिया पंचायत की सरपंच श्रीमती अनुराधा जोशी से पंचायिका के लिए रीमा राय ने बात की, प्रस्तुत है बातचीत के अंश-

- **आपकी पंचायत को कौन सा पुरस्कार मिला और आप कैसा महसूस कर रही हैं।**

●● हमारी पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय कोदरिया पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2016-17 से पुरस्कृत किया गया है। हमारी पंचायत को सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया। हमारा प्रयास सार्थक हो गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है। यह मेरे लिए अद्‌भुत और अनूठा क्षण है। हमारी पंचायत देश भर के प्रतिनिधियों के बीच जानी गयी। इस खुशी को शब्दों में कहना संभव नहीं है।

- **इस पुरस्कार के लिए आपकी पंचायत का चयन किस प्रकार किया गया।**

●● सबसे पहले हमसे ऑनलाइन 60 प्रश्न पूछे गये। ये प्रश्न पंचायतराज व्यवस्था के क्रियान्वयन को लेकर थे। कुछ नीतिगत प्रश्न थे। जैसे ग्राम सभा को लेकर, ग्राम सभा में सदस्यों की उपस्थिति को लेकर, ग्राम समितियों को लेकर, कितनी ग्राम समितियाँ बनीं, हमारे यहां 6 समितियाँ बनी हैं, इसके सदस्यों और समितियों के कार्यों की

जानकारी चाही गयी। शासकीय योजनाओं का कितना प्रतिशत क्रियान्वयन हो रहा है। टेक्स वसूली की क्या स्थिति है। कुछ अधोसंरचना से संबंधित प्रश्न थे, सी.सी. रोड, ड्रेनेज नाली, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था पर भी प्रश्न थे।

- **क्या आपकी पंचायत, पंचायतराज व्यवस्था के नीतिगत प्रश्नों पर खरी उतरी है?**

●● हाँ, इन प्रश्नों के उत्तरों के बाद अगले चरण में भौतिक सत्यापन के लिए दल आया था, दल द्वारा सारे रजिस्टर देखे गये, विकास कार्य और गतिविधियों को प्रत्यक्ष जाँचा-परखा गया। इसके बाद जनपद और फिर जिले से सत्यापित रिपोर्ट भेजी गयी।

- **अर्थात् आपकी पंचायत सभी मापदण्डों पर खरी उतरी?**

●● हाँ, परीक्षा कठिन थी, इस पर खरा उतरना बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो भी प्रयास किये गये हैं, उनका मूल्यांकन हो गया।

- **आपने कर वसूली की बात की, आपकी पंचायत में लगभग एक वर्ष में कितना कर वसूला जाता है?**

●● देखिए कर एकत्र करना पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ से वर्ष में 28 से 30 लाख

कर प्राप्त किया जाता है। स्वकराधान योजना के तहत यह राशि पंचायतों के विकास के लिए उपयोगी होती है जिससे पंचायतें सशक्त होती हैं।

- **आपकी पंचायत ISO पंचायत भी है। इसे यह दर्जा कैसे प्राप्त हुआ?**

●● हाँ, हमारी पंचायत को ISO पंचायत का दर्जा दिया गया है। इसके परीक्षण के लिए भी दल आया था जिसमें सारे रिकॉर्ड देखे गये जो व्यवस्थित मानक स्तर में सही पाये गये। हमारी पंचायत में योजनाओं का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन हो रहा है। सारी जाँच-परख के बाद हमारी पंचायत को ISO घोषित किया गया।

- **आप यह सब कार्य कैसे कर पाती हैं?**

●● एक तो हमारी पंचायत कार्यालय की तरह चलती है। सुबह साढ़े दस बजे कार्यालय खुल जाता है। हमारे यहां 26 लोग कार्य करते हैं। इनका वेतन कर से प्राप्त राशि से प्रदान किया जाता है। सभी काम समय पर अनुशासित स्वरूप में किये जाते हैं। इसीलिये बड़ी पंचायत होने के बाद भी हम यथायोग्य कार्य कर पा रहे हैं।

- **आपके यहाँ कुछ नवाचार भी हुए हैं?**

●● हाँ हमारे यहां मिनरल आरओ ATM प्लांट स्थापित किया गया है। इसके माध्यम से ग्रामीणों को 1 रुपये में 1 लीटर तथा 8 रुपये में 20 लीटर शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया गया है। दूसरा हमारे यहाँ सेनेटरी नेपकिन निर्माण की यूनिट स्थापित की गई है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ उन्हें रोज़गार से आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। हमने एक और भी प्रयोग किया है जैविक खाद बनाने का। पंचायत की आय से खरीदे गये स्वच्छता वाहन द्वारा हर घर से गीला तथा सूखा कचरा अलग-अलग एकत्र किया जाता है। इस कचरे का उपयोग खाद बनाने में किया जाता है।

- **आप पंचायतराज दिवस के उपलक्ष्य में जबलपुर में आयोजित कार्यशाला में भी शामिल हुई थीं वहां के क्या अनुभव हैं?**

●● वहाँ मैंने अपने अनुभव बताये और एक ग्रुप डिस्कशन का आयोजन किया गया था। विषयवार ग्रुप बने थे। जिसमें पंचायत विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञ हमारे साथ थे। मेरे ग्रुप का विषय डिजिटल पंचायत थी। हमें चर्चा करनी थी कि क्या है, क्या और बेहतर हो सकता है। मैंने सलाह दी कि हमारे यहाँ सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं यदि टेक्स भी ऑनलाइन जमा करने की व्यवस्था कर दी जाये तो समय भी बचेगा और पारदर्शी व्यवस्था भी होगी।

पंचायतों को सशक्त बनाने का माध्यम बना
बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिवस

शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं से हितग्राहियों को अवगत कराने और उन्हें लाभांवित करवाने में ग्राम पंचायत सशक्त माध्यम है। विभिन्न शासकीय योजनाओं के प्रचार-प्रसार करने में पंचायतें महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यही कारण है कि वर्तमान में शासन की समस्त कल्याणकारी योजनाओं को पंचायतों से जोड़ा गया है। इसी के फलस्वरूप पंचायतों के माध्यम से बाबा साहब डॉ. भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिवस को इस वर्ष प्रदेश में ग्राम स्वराज अभियान के रूप में मनाया गया। इस दिन उनके आदर्शों और प्रेरणादायी विचारों को जन-जन तक पहुंचाने के लिये ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। साथ ही प्रदेश की जन-कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामवासियों को लाभांवित किया गया। ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल 2018 से 05 मई 2018 तक आयोजित किया जायेगा। जिसके अंतर्गत विभिन्न जनहितैषी कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। निश्चित ही पंचायतों को सशक्त और प्रभावी बनाने में बाबा साहब के जन्मदिन को हमेशा याद रखा जायेगा। पंचायत प्रतिनिधियों का भी यह प्रयास रहा कि वह इन दिवसों में अधिक से अधिक हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभांवित करें। ग्राम स्वराज अभियान कार्यक्रम को लेकर रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील की ग्राम पंचायत तिखावन के सरपंच श्री सुरेन्द्र सिंह चौधरी से नवीन शर्मा ने बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश-

- **ग्राम स्वराज अभियान और बाबा साहब के जन्मदिवस को आप किस रूप में देखते हैं?**

●● ग्राम स्वराज अभियान ग्राम पंचायतों में गरीब, असहाय और शासकीय योजनाओं से वंचित ग्रामीणों को लाभांवित कराने का माध्यम है। इस कार्यक्रम से अधिक से अधिक हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभांवित करवाना है। चूंकि डॉ. भीमराव अम्बेडकर समाज के वंचित तबके के उद्धार के शुभचिंतक रहे हैं। उन्होंने हमेशा दलित, गरीब और असहाय लोगों की आवाज उठाई है। यही कारण है कि उनके जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। साथ ही ग्रामसभाओं में उनके प्रेरणादायी आदर्शों और व्यक्तित्व को जन-जन तक पहुंचाने का मंच प्रदान किया गया।

- **ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत किन-किन योजनाओं से लोगों को लाभांवित किया?**

●● शासन के आदेशानुसार हमारी ग्राम पंचायत में सर्वप्रथम ग्रामसभा का आयोजन किया। जिसमें डॉ. भीमराव अम्बेडकर के विचारों से ग्रामवासियों को अवगत कराया। इसी के साथ समाज के वंचित लोगों के उत्थान के लिये उठाये गये कदमों के विषयों में लोगों को बताया। इसके अलावा शासन की जन-कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया। हमारी पंचायत में लगभग 1200 मजदूरों का पंजीयन कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 45 हितग्राहियों को आवास के पट्टे प्रदान किये गये। 06 महिला समूहों का गठन किया गया। दिन भर चले इस कार्यक्रम में महिलाओं को साबुन, अगरबत्ती निर्माण के विषय में तथा शासकीय आर्थिक मदद तथा सहयोग मिलने की जानकारी दी गयी।

- **ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत 05 मई 2018 तक होने वाले कार्यक्रम की क्या योजना है?**

●● इस अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल से हो गई है। आगामी कार्यक्रमों के लिये भी पंचायत में कार्य किये जायेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को शासकीय योजनाओं से अवगत कराकर लाभ पहुंचाया जाये।

- **यह अभियान अन्य अभियानों से किस तरह अलग और प्रभावी है?**

●● चूंकि वर्तमान में शासन द्वारा ऐसी कई महत्वाकांक्षी योजनायें संचालित की जा रही हैं, जिनका किसी न किसी रूप से समाज के हर वर्ग का सरोकार जुड़ा है। वह चाहे मजदूरों से संबंधित हो, विद्यार्थियों से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, महिलाओं से संबंधित हो, इस तरह के आयोजन होने से निश्चित ही हितग्राहियों को एक मंच मिल जाता है, जिससे वह एक साथ सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ग्राम स्वराज अभियान एक अलग तरह का अभियान है। जो निरंतर काफी दिनों तक चलेगा और अलग-अलग योजनाओं को लेकर संचालित होगा।

- **इस अभियान की सफलता में शासन के साथ-साथ आप समाज की सहभागिता को कैसे देखते हैं?**

●● इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के हर समुदाय के हर वर्ग को शासन की योजनाओं से अवगत कराकर लाभांवित करना है। शासन तो अपने स्तर पर कार्य कर ही रहा है, लेकिन अभियान की सफलता में समाज की सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। बगैर समाज के सहयोग से इसे सफल नहीं बनाया जा सकता है।

सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह

मध्यप्रदेश के स्वच्छाग्रहियों की अनूठी पहल

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ बारत अभियान की शुरुआत की थी। स्वच्छ भारत अभियान विश्व में स्वच्छता के क्षेत्र में किया गया सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन का अभियान है। इस अभियान का उद्देश्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनको श्रद्धांजलि के रूप में 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त करना और स्वच्छ भारत का निर्माण करना है। इस मिशन के तहत 2 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना है। मार्च 2018 तक भारत के 3,23,560 गांव, 314 जिले और 11 राज्य खुले में शौच मुक्त किये जा चुके हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को गति देने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर समुदाय को जागरूक तथा स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यक्रम किये जाते हैं।

2017-18 गांधीजी के चंपारण सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के अवसर पर केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पूरे देश को खुले में शौच से मुक्ति का संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से बिहार में 2 से 10 अप्रैल 2018 तक स्वच्छता के लिए चंपारण 'स्वच्छाग्रह' का आयोजन किया गया। चंपारण स्वच्छाग्रह में विभिन्न राज्यों से दस हजार स्वच्छाग्रहियों को बिहार आमंत्रित किया गया। बिहार के स्थानीय स्वच्छाग्रहियों के साथ मिलकर समुदाय आधारित स्वच्छता विधि से समुदाय को खुले में शौच मुक्ति के लिए प्रेरित करने की गतिविधियां करायी गई।

उल्लेखनीय है कि इस पहल के महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक हिस्सा स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छाग्रही हैं जो ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता को सामुदायिक रूप से

कार्यान्वित करते हैं। स्वच्छ भारत अभियान के ये स्वच्छाग्रही खुले में शौच मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मध्यप्रदेश के उत्कृष्ट स्वच्छाग्रहियों को बिहार भेजा गया जिसके लिए राज्य स्तर पर 60 मास्टर ट्रेनर तैयार किये गये और उनके द्वारा सभी जिले के लगभग 1400 स्वच्छाग्रहियों का चयन कर प्रशिक्षित किया गया और 1 अप्रैल 2018 को सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम में भेजा गया।

उपरोक्त स्वच्छाग्रह के लिए चयनित स्वच्छाग्रहियों द्वारा बिहार के गाँवों में रहकर समुदायों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करने और खुले में शौच मुक्ति का स्थायित्व बनाये रखने के लिए कार्य किया गया। साथ ही साथ मध्यप्रदेश के स्वच्छाग्रहियों ने समुदाय को मध्यप्रदेश में हो रहे स्वच्छता कार्यों के बारे में बताकर जन भागीदारी एवं सशक्त निगरानी

समिति का गठन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। मध्यप्रदेश के स्वच्छाग्रहियों द्वारा किये गये कार्य तथा गाँव में स्वच्छता का वातावरण निर्माण करने के लिए किये गये अनूठे प्रयासों को स्वच्छ बिहार टीम द्वारा सराहा गया।

मुख्य उपलब्धियाँ

सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम के मात्र 8 दिनों में राज्य के स्वच्छाग्रहियों ने बिहार में जो कार्य किये वे न केवल सराहनीय रहे बल्कि वे संपूर्ण रूप से समस्त जिलों के स्वच्छग्रहियों को ऊर्जा प्रदान करने के साथ-साथ स्वच्छता अभियान से लोगों को जोड़ने में सफल रहे। हमारे मध्यप्रदेश के स्वच्छाग्रहियों द्वारा किये गये कार्यों की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- 835 स्वच्छाग्रहियों द्वारा 1160 ग्रामों में भ्रमण किया गया तथा 1127 गाँवों में लोगों को ट्रिगर टूल के माध्यम से ट्रिगर किया गया। लोगों को समझाइश देकर गाँव को खुले में शौच मुक्त करने के लिए अभिप्रेरित किया और खुले में शौच मुक्ति की तिथि भी निर्धारित की गई।
- 782 स्कूलों को विजिट किया गया। बच्चों से स्वच्छता पर बातचीत, स्वच्छ गाँव में बच्चों की भूमिका। बच्चों से साबुन से हाथ धोने के लिए डेमो देकर उन्हें भी प्रेरित किया गया।
- 626 आंगनवाड़ी सेंटर भ्रमण कर उनकी समझाइश की गई एवं स्वच्छता और स्वास्थ्य पर चर्चा के साथ उन्हें निगरानी समिति से जोड़कर निगरानी समिति को सक्रिय किया गया।
- 323 सामुदायिक बैठक एवं चौपाल भी की गईं ताकि समुदाय को जोड़कर स्वच्छता को एक जन आंदोलन का रूप दिया जा सके।
- इस अभियान के तहत देश भर के 10 हजार से अधिक स्वच्छाग्रहियों ने बिहार के 38 जिलों में स्वच्छता के प्रति व्यवहार बदलाव के लिए 10 हजार स्वच्छाग्रहियों को प्रशिक्षित किया। जिसके परिणामस्वरूप समस्त जिलों में 8,50,000 शौचालयों का निर्माण कार्य समुदाय द्वारा शुरू किया गया। यह कार्य अपने आप में सराहनीय है। इस कार्य में मध्यप्रदेश के स्वच्छाग्रहियों का विशेष योगदान रहा।

कार्यक्रम का समापन बड़े पैमाने पर एक विशेष आयोजन द्वारा किया गया। आयोजन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 10 अप्रैल, 2018 को चंपारण जिले में 20,000 स्वच्छाग्रहियों को संबोधित किया। साथ ही उन स्वच्छाग्रहियों को पुरस्कृत किया गया। जिन्होंने अपने गांवों में स्वच्छता को लेकर उत्कृष्ट कार्य किये हैं। इस आयोजन से न केवल कार्य को गति मिली बल्कि स्वच्छाग्रहियों का उत्साहवर्धन हुआ और वे सभी अपने-अपने गाँव में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित हुए।

● **साबिर इकबाल**
राज्य सलाहकार, स्वच्छ भारत मिशन

वाल्मी द्वारा दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला

बेहतर गुणवत्ता के लिये नियमित कौशल संवर्धन आवश्यक

शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने तथा गुणवत्ता की कसौटी पर खरा उतरने के लिए आवश्यक है कि उसमें लगे मेन पावर के कौशल संवर्धन का काम नियमित रूप से किया जाता रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता के मानक का निर्धारण किया जाए। इसके लिए म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंध संस्था (वाल्मी) द्वारा भोपाल में 24 और 25 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। "राज्य-स्तरीय प्रशिक्षण संस्थानों" के लिए 'मानक बेंच-मार्क का निर्धारण' विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में 111 प्रतिभागी सम्मिलित हुए, जिनमें 52 प्रतिभागी अन्य राज्यों से आये। जिसमें विभिन्न विषय विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे हैं।

कार्यशाला के प्रथम दिन पूर्व भारतीय प्रशासनिक अधिकारी डॉ. ज्ञानेन्द्र बड़गैया ने कहा है कि संस्थानों को कर्मचारी अथवा स्टॉफ के प्रशिक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी संस्थान की रीढ़ है, वरिष्ठ अधिकारी के अलावा कर्मचारियों की बौद्धिक क्षमता बढ़ाना जरूरी है। उनके कमजोर रहने से जन आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरा जा सकता है। डॉ. बड़गैया ने कहा कि नये दौर में ग्लोबल प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस नवाचारी युग में वेबसाइट प्रशिक्षण का एक अच्छा मंच हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिये हाई स्पीड इंटरनेट एक बड़ा स्रोत है। संस्थान दिखने में भले ही अच्छा न हो, लेकिन संस्थानों की फैकल्टी इंटलेक्च्युअल होना चाहिए। नये विचारों पर काम कर आगे बढ़ना होगा। इसके लिये संस्थानों में काम करने का वातावरण भी बदलना होगा।

सचिव, राज्य आनंद संस्थान श्री मनोहर दुबे ने कहा कि शिक्षण और प्रशिक्षण एक-दूसरे के पूरक हैं। शिक्षण के अनुसार ही प्रशिक्षण होना चाहिए। प्रतिभागियों के लिये प्रशिक्षण उपयोगी साबित होगा। जब प्रशिक्षण रुचिपूर्ण रहेगा।

पश्चिम बंगाल की उपभोक्ता मामले की सचिव श्रीमती नीलम मीना ने कहा कि देश और समाज को आगे ले जाने के लिये प्रशिक्षण की आवश्यकता है। साथ ही, समय के साथ नये परिवर्तन के बेंच-मार्क बनाने होंगे। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षणार्थियों के हिसाब से प्रतिभागियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।

प्रशिक्षण के दूसरे दिन अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री इकबाल सिंह बैंस ने कहा कि सीखने का काम कभी खत्म नहीं होता है। स्वयं को ज्ञानी समझने से ही तरक्की में बाधा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि ज्ञानी मानता है कि उसे सब आता है। लेकिन परिवर्तन के साथ समय-समय पर प्रशिक्षण के जरिये नई पद्धति को जानना आवश्यक है। इसमें प्रशिक्षण संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री बैंस ने कहा कि संस्था बनाना आसान होता है, लेकिन बेंच मार्क निर्धारित करना महत्वपूर्ण और जरूरी है। कोई संस्था मार्केट में अपना नाम स्थापित कर लेती है, तो वह स्वयं बेंच मार्क बन जाती है। उसकी पहचान से ही उसका विश्लेषण किया जाता है। दो दिन में कार्यशाला में सामने आये बिन्दुओं पर म.प्र. सरकार लगातार काम करेगी और नये परिवर्तन की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि अंतिम छोर के व्यक्ति को लाभ पहुँचाने के लिये सदैव प्रयासरत रहने की जरूरत है। संस्थान की संचालक श्रीमती उर्मिला शुक्ला ने बताया कि दो दिन की कार्यशाला के बाद निकले महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर संस्था गंभीरता से अमल करेगी।

● **अनिल वशिष्ठ**
सहायक सूचना अधिकारी, जनसंपर्क

जिला और जनपद पंचायत के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु भी अब 62 वर्ष

राज्य शासन द्वारा म.प्र. शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अध्यादेश 2018 के अनुरूप जिला एवं जनपद पंचायत के मूल कर्मचारियों की वर्तमान अधिवार्षिकी आयु 31 मार्च की स्थिति में 60 के स्थान पर 62 वर्ष कर दी गई है। आदेश 31 मार्च, 2018 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2018 को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवारत माना जायेगा। उपरोक्त विशेष परिस्थिति में कार्य पर उपस्थित नहीं हो सके कर्मचारियों को अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए उनकी सेवाएँ निरंतर मानी जायेंगी।

ग्राम पंचायतों को मिलेगा एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार

लिंगानुपात सुधारने के मामले में झाबुआ जिले ने अनुकरणीय मिसाल पेश की है। जिले के लगभग दो-तिहाई गाँवों में दो वर्षों में 5 वर्ष तक के बच्चों में बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले अधिक मिली है। जिले की कुल 375 ग्राम पंचायतों में से 227 में लड़कियाँ, लड़कों की तुलना में अधिक हैं। सभी 227 पंचायतों को शासन द्वारा एक-एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा। पुरस्कार राशि का उपयोग बेटियों की बेहतरी के लिये किया जायेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पुरस्कार की यह योजना शुरू की थी। इसमें जिन ग्राम पंचायतों में 5 साल तक की बेटियों की संख्या बेटों के मुकाबले अधिक होगी, उन्हें सम्मान स्वरूप एक-एक लाख रुपये की राशि पुरस्कार में दी जायेगी। जिला प्रशासन ने वर्ष 2016 और 2017 में एक से 31 जनवरी के बीच 5 वर्ष तक के बच्चों की जानकारी जुटाई, जिसमें यह सुखद परिणाम मिले। कलेक्टर श्री आशीष सक्सेना का कहना है कि लिंगानुपात बढ़ाने में झाबुआ की आदिवासी परम्परा का भी योगदान है। यहां समाज में बेटे-बेटी में अंतर नहीं किया जाता।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन

राज्य शासन ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में निहित प्रावधानानुसार राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया है। इसमें सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण मंत्री को अध्यक्ष बनाया गया है। राज्यमंत्री सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। सदस्यों में सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला-बाल विकास, वित्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम, उद्योग, रोजगार, नगरीय विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, खेल एवं युवक कल्याण, परिवहन, लोक निर्माण, तकनीकी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को शामिल किया गया है। इसी प्रकार राज्य विधान मण्डल के 3 सदस्यों में विधानसभा सदस्य उमरिया कु. मीना सिंह, विधानसभा सदस्य सागर श्रीमती पारुल साहू केशरी और विधानसभा सदस्य छतरपुर श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक को भी सदस्य के रूप में शामिल किया है। राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं कल्याण के क्षेत्र से आरुषि भोपाल के श्री अनिल मुद्गल, रोशनी ग्वालियर की सुश्री मंजुला पाटनकर, मानसिक मंदता जबलपुर की सुश्री आशा आवा, संज्ञा शिक्षा समाज कल्याण समिति होशंगाबाद और नवजीवन मूक-बधिर इंदौर के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दिव्यांग में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त डॉ. अभय दवे, श्री सत्येन्द्र सिंह, सुश्री सांत्वना अरस, डॉ. रोहित त्रिवेदी, श्री इब्राहिम अली, सुश्री प्रभा सोनी, कु. आस्था गुप्ता, श्री दशरथ चौहान, सुश्री पूजा सुब्रहमण्यम और श्री संजय यादव को भी सदस्यों में शामिल किया गया है। स्टेट चेम्बर ऑफ कॉमर्स उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में श्री ए.बी. शाह, श्री डी.के. जैन और श्री गौतम कोठारी को भी सदस्यों में सम्मिलित किया गया है। बोर्ड में सदस्य सचिव आयुक्त/संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को बनाया गया है। बोर्ड का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

सागर में दिव्यांगजनों के लिये विशेष विद्यालय एवं संयुक्त छात्रावास खुलेगा

सागर जिले में दिव्यांगजनों के लिये विशेष विद्यालय एवं संयुक्त छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। इस सौ सीटर विशेष विद्यालय एवं छात्रावास के निर्माण के लिये 6 करोड़ 67 लाख 58 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई है। राज्य निराश्रित निधि की राशि से पीआईयू भोपाल को भवन निर्माण की मंजूरी भी दी गई है। मध्यप्रदेश निराश्रित एवं निर्धन व्यक्ति की सहायता अधिनियम के तहत बने नियम के अन्तर्गत एवं परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन पर यह सशर्त स्वीकृति दी गई है। इसमें विशेष विद्यालय एवं संयुक्त छात्रावास भवन का निर्माण अनुमोदित नक्शा तकनीकी प्राक्कलन अनुसार पीआईयू भोपाल द्वारा करवाया जाएगा। निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं पाये जाने पर आगामी देय किश्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। भवन निर्माण की प्रगति की समीक्षा कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति करेगी।

हितग्राही के खाते में जमा होगी भरण-पोषण की दस प्रतिशत राशि

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में रहने वाले अंतःवासियों के भरण-पोषण की 10 प्रतिशत राशि, उनके खातों में जमा कराई जाएगी। प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं निःशक्त-जन कल्याण श्री अशोक शाह ने बताया कि सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण द्वारा दिव्यांगजनों के लिए संचालित शासकीय और अशासकीय संस्थाओं एवं वृद्धाश्रमों में निवासरत प्रत्येक हितग्राही के भरण-पोषण पर एक हजार रुपये की राशि प्रति माह खर्च की जाती है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस राशि में से 10 प्रतिशत राशि, प्रति माह हितग्राही के खाते में जमा कराई जाएगी, जिसका उपयोग वह अपने निजी कार्यों पर कर सकेगा।

छत्तीसगढ़ में सात हजार सरपंचों ने ली स्वच्छता की शपथ

लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरुकता लाने और गांवों और शहरों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस अभियान के तहत गांवों को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बलौदा बाजार, राजनांदगांव और गरियाबंद जिलों की लगभग सात हजार ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपनी-अपनी ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करने की शपथ ली है।

गांवों के विकास के बिना भारत के विकास की कल्पना बेमानी है। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार लगातार ग्रामीण विकास के लिए कदम उठा रही है। मध्यप्रदेश के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों में भी ग्रामीण विकास के लिए नवाचार किये जा रहे हैं। "अन्य प्रांतों से" स्तंभ में हम देश के अन्य राज्यों में चलायी जा रही योजनाओं, नवाचारों और कार्यक्रमों की जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं।

रायपुर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा "24 अप्रैल-राष्ट्रीय पंचायत दिवस" पर आयोजित एक कार्यक्रम में इन सरपंचों ने अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर किये। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के दस हजार से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) छत्तीसगढ़ के राज्य सलाहकार ने बताया कि खुले में शौच मुक्त बनाने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद इन गांवों में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्य किये गये हैं। प्रत्येक ग्राम पंचायत में 16X8 आकार के बोर्ड पर स्वच्छता संदेश लगाये जा रहे हैं। लोगों को स्वच्छता के फायदे समझाये जा रहे हैं। प्रत्येक घर में शौचालयों तथा गांव में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों को हाथ धोने की आदत बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा स्वच्छता दूत भी नियुक्त किये गये हैं, जो घर-घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज इनमें से ज्यादातर गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं और शेष खुले में शौच मुक्त होने की दहलीज पर हैं। गांवों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए सरपंचों द्वारा ली गई शपथ न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में मिसाल बन गई है।

● **मोहन सिंह पाल**

चौदह अप्रैल को ग्राम सभा का आयोजन

मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 16-1/2018/22./पंचा.-2/142 **भोपाल, दिनांक 24.03.2018**

प्रति,

1. कलेक्टर, जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- दिनांक 14 अप्रैल 2018 को ग्राम सभाओं का आयोजन।

मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 6 के प्रावधान अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत को ग्राम सभा का त्रैमासिक सम्मिलन चरणबद्ध तिथियों में आयोजित करना अनिवार्य है। आगामी ग्राम सभाओं का आयोजन दिनांक 14 अप्रैल 2018 को किया जाना है। सभा में स्थानीय एजेंडा के विषयों के अतिरिक्त निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की जाये :-

मुख्य बिंदु :-

(1) प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण की स्थाई प्रतीक्षा सूची को अद्यतन करने की कार्यवाही हेतु विकास आयुक्त कार्यालय के पत्र क्रमांक 1942 दिनांक 19.02.2018 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ग्राम सभा से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करना।

(2) प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत निर्माणाधीन आवासों को शीघ्र पूर्ण करवाने की समीक्षा।

(3) संचालनालय स्तर से निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत के लिये स्वीकृत किये गये कार्यों की समीक्षा का पटल पर रखा जाना। अप्रारंभ कार्यों को पूर्ण कराना।

अन्य बिंदु :-

(1) पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत उपलब्ध राशि तथा प्रगतिरत कार्यों की चर्चा।

(2) पंच परमेश्वर योजना के नवीन दिशा-निर्देशों तथा पंच परमेश्वर एप से सदस्यों को अवगत कराना।

(3) ग्राम को खुले में शौच मुक्त घोषित करने की रणनीति पर चर्चा तथा अवधि का निर्धारण।

(4) जो ग्राम खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं उनको "कचड़ा मुक्त कीचड़ मुक्त" ग्राम के रूप में विकसित करने के लिये रणनीति निर्धारित करना।

(5) ग्राम सभा द्वारा अनिवार्य करों के करारोपण एवं वसूली की चर्चा।

(6) विद्यालयों में माध्यान्ह भोजन वितरण की समीक्षा/आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण आहार की चर्चा।

(7) जिन ग्रामों में सभी पात्र महिलाएं स्व-सहायता समूह की सदस्य बन चुकी हैं, उनकी पूर्ण जानकारी ग्राम सभा में रखी जाए।

(8) स्व-सहायता समूहों द्वारा स्वच्छता मिशन में सक्रिय भागीदारी की जाकर खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) तथा ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) में सहयोग किया जाए।

(9) ग्राम संगठन द्वारा किये गये कार्यों की जानकारी ग्राम सभा में साझा की जाए।

(10) विभिन्न पेंशन योजनाओं के तहत लाभ वितरण की चर्चा।

(11) मद्यपान, तम्बाकू, गुटखा, सिगरेट एवं अन्य नशीले मादक द्रव्यों/पदार्थों के दुष्परिणामों पर चर्चा तथा "मद्य निषेध" हेतु वातावरण निर्माण करना।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

14 अप्रैल से 5 मई तक ग्राम स्वराज अभियान का आयोजन

मध्यप्रदेश शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ-01/22/पं-1/2018/170 **भोपाल, दिनांक 07.04.2018**

प्रति,

1. संभागीय आयुक्त, संभाग - समस्त, मध्यप्रदेश।
2. कलेक्टर, जिला - समस्त, मध्यप्रदेश।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत - समस्त, मध्यप्रदेश।

विषय :- ग्राम स्वराज अभियान 14 अप्रैल से 05 मई 2018 का आयोजन।

संदर्भ :- सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक J-11011/21/2018-Media दिनांक 31 मार्च 2018

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में दिनांक 14 अप्रैल से 05 मई 2018 तक "ग्राम स्वराज अभियान" का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के आयोजन हेतु तिथिवार विभागीय गतिविधियों के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त निर्देश संलग्न हैं।

2. अभियान के अंतर्गत विभिन्न दिवसों पर विशिष्ट आयोजन निम्नानुसार किये जायेंगे, जिसके लिये संबंधित विभाग समस्त व्यवस्थायें जिला, जनपद, ग्राम स्तर पर करेंगे :-

क्र.	दिनांक	विशिष्ट दिवस	प्रदेश में नोडल विभाग
1.	14 अप्रैल 2018	सामाजिक न्याय दिवस	सामाजिक न्याय विभाग
2.	18 अप्रैल 2018	स्वच्छ भारत दिवस	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (राज्य समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन)
3.	20 अप्रैल 2018	उज्ज्वला दिवस	खाद्य विभाग
4.	24 अप्रैल 2018	राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (पंचायत राज संचालनालय)
5.	28 अप्रैल 2018	ग्राम स्वराज दिवस	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण) सौभाग्य योजना के लिये सहयोगी विभाग-ऊर्जा विभाग)
6.	30 अप्रैल 2018	आयुष्मान भारत दिवस	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
7.	02 मई 2018	किसान कल्याण दिवस	किसान कल्याण तथा कृषि विभाग
8.	05 मई 2018	आजीविका दिवस	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस.आर.एल.एम.) सहयोगी विभाग- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विभाग)

ग्राम स्वराज अभियान में स्थानीय मान. सांसदों, मान. विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचित अन्य प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित करते हुये उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित करें। 3. अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा गत वित्तीय वर्ष में प्राप्त राशि का विवरण, किये गये कार्य तथा इस वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कार्यों का विवरण सामान्यजन के लिये दीवार लेखन या फ्लेक्स प्रिंटिंग द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा। 4. अभियान के आयोजन की पूर्व तैयारी हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ **दिनांक 10 अप्रैल 2018** तक बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर लेवें। 5. अभियान समाप्ति उपरांत समस्त आयोजनों की विस्तृत रिपोर्ट फोटोग्राफ्स सहित संचालक पंचायतराज को उपरोक्त मेल से भेजी जावे।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पोषण अभियान के तहत कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायतों की बैठक

पंचायतराज संचालनालय मध्यप्रदेश
भविष्य निधि कार्यालय के समीप
अरेरा हिल्स (हिन्दुस्तान पेट्रोल पंप के पास), भोपाल
Telephone No. 0755-2557727, Fax No. 0755-2552899, E-mail adress : dirpanchayat@mp.gov.in

क्रमांक/पंचा./एफ-1- /803/2018/4277 **भोपाल, दिनांक 27/03/2018**

प्रति,

1. **कलेक्टर,**
   जिला - समस्त
   मध्यप्रदेश।
2. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत - समस्त,
   मध्यप्रदेश।

विषय- पोषण अभियान के तहत कार्यवाही हेतु 14 अप्रैल 2018 को ग्राम पंचायतों की बैठक आयोजन बाबत्।

संदर्भ :- श्री अमरजीत सिन्हा सचिव भारत सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय तथा श्री राकेश श्रीवास्तव सचिव भारत सरकार महिला एवं विकास मंत्रालय का संयुक्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एन.एन.एम./40/2018 न्यूट्रीशियन दिनांक 16 मार्च 2018

विषयांतर्गत अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की पंजी क्रमांक 1062 दिनांक 22.03.2018 से प्राप्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

मान. प्रधानमंत्री जी द्वारा 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू से 06 वर्ष तक की आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के पोषण की स्थिति में सुधार हेतु "पोषण अभियान" प्रारंभ किया गया है। मान. प्रधानमंत्री जी की इच्छानुरूप अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जन आंदोलन का रूप दिया जाना है।

दिनांक 14 अप्रैल 2018 को अम्बेडकर जयंती के अवसर पर समस्त ग्राम पंचायतें पोषण के पहलुओं पर स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों के साथ चर्चा करेंगी, साथ ही ग्राम पंचायतें आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों का भार लेकर उसका प्रदर्शन भी करेंगी।

कृपया दिनांक 14 अप्रैल 2018 को आयोजित ग्रामसभा में उपरोक्तानुसार कार्यवाही महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से कराया जाना सुनिश्चित करें।

(शमीम उद्दीन)
संचालक
पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.

ग्राम स्वराज अभियान में चिन्हांकित 404 गाँवों में सात कार्यक्रमों की परिपूर्णता हेतु निर्देश

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ-01/22/पं-1/2018/176 **भोपाल, दिनांक 09/04/2018**

प्रति,

1. **संभागीय आयुक्त,**
   संभाग-समस्त, मध्यप्रदेश।
2. **कलेक्टर,**
   42 जिले (श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, डिंडोरी, मण्डला, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, अशोकनगर, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, खण्डवा एवं बुरहानपुर) मध्यप्रदेश।
3. **मुख्य कार्यपालन अधिकारी**
   42 जिला पंचायत (श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर, सतना, रीवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, देवास, धार, इंदौर, खरगोन, बड़वानी, राजगढ़, विदिशा, भोपाल, सीहोर, रायसेन, होशंगाबाद, जबलपुर, डिंडोरी, मण्डला, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, अशोकनगर, शहडोल, अनूपपुर, सीधी, सिंगरौली, अलीराजपुर, खण्डवा एवं बुरहानपुर) मध्यप्रदेश।

विषय- दिनांक 14 अप्रैल से 05 मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत निर्धन घरों की अधिक संख्या वाले प्रदेश के 404 गाँवों के लिये 7 कार्यक्रमों की परिपूर्णिता (Saturation) हेतु विशेष अभियान - सबका साथ, सबका गाँव, सबका विकास।

संदर्भ :- सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक J-11011/21/2018-Media दिनांक 05 अप्रैल 2018

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 अप्रैल से 05 मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान आयोजित करने का निर्णय लिया है। अभियान अंतर्गत एक विशेष प्रयास ऐसे गांवों के लिये किया जाना है, जहाँ निर्धन आवासरतों की संख्या अधिक है। प्रदेश में ऐसे गांवों की संख्या 404 है। इस विशेष अभियान अंतर्गत निम्नलिखित 7 कार्यक्रमों का यूनिवर्सन कवरेज चिन्हित 404 गांव में किया जाना है :-

क्रमांक	कार्यक्रम	प्रदेश में नोडल विभाग
1.	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	खाद्य विभाग
2.	सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)	ऊर्जा विभाग
3.	उजाला योजना	ऊर्जा विभाग
4.	प्रधानमंत्री जन-धन योजना	वित्त विभाग
5.	प्रधानमंत्री जीवन-ज्योति बीमा योजना	वित्त विभाग
6.	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	वित्त विभाग
7.	मिशन इन्द्रधनुष	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

2. उपरोक्त विशेष अभियान सबका साथ सबका गांव सबका विकास के संबंध में कृपया सभी आवश्यक तैयारियाँ करें तथा संबंधित विभाग के मैदानी अमले को तदनुसार गतिविधियाँ आयोजित करने हेतु निर्देशित करें। कार्यक्रमों की सघन मॉनीटरिंग हेतु व्यवस्थायें की जानी हैं अतएव वरिष्ठ

अधिकारियों को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु चिन्हित गांव में भेजा जाये। जिला स्तरीय/खण्ड स्तरीय अधिकारियों को ग्रामवार जिम्मेदारी सौंपी जावे।

2.1 अभियान में जिला पंचायत अध्यक्ष/जनपद पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत सरपंच तथा अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे। दीनदायाल अंत्योदय योजना अंतर्गत संचालित स्वयं सहायता समूहों (Self Help Group) का भी विशेष अभियान को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग लिया जाये।

3. विशेष अभियान के आयोजन की पूर्व तैयारी हेतु संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ दिनांक 10 अप्रैल 2018 तक बैठक कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली जावे।

3.1 विशेष अभियान की समाप्ति उपरांत प्रगति का प्रतिवेदन संचालक, पंचायतराज संचालनालय के ई-मेल **mpprd.panch@mp.gov.in** पर उपलब्ध करावें।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क्रमांक/एफ-01/22/पं-1/201/177 **भोपाल, दिनांक 09.04.2018**

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
2. निज सहायक, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री/राज्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, पंचायतराज संचालनालय, भोपाल मध्यप्रदेश।
5. समस्त संबंधित कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(शमीम उद्दीन)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़े जायें

विकास आयुक्त कार्यालय
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्र. 1942/22/वि-7/पीएमएवाय-जी/18 **भोपाल, दिनांक 19.02.2018**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत-समस्त
मध्यप्रदेश

विषय- प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने बाबत्।

संदर्भ :- भारत सरकार का पत्र क्र. जे-11060/16/2017/आरएच दिनांक 24.01.2018

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (प्रतिलिपि संलग्न)। पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में स्थायी प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया का लेख किया गया है। पात्र परिवार के नाम चयनित करने तथा स्थाई प्रतीक्षा सूची में जोड़ने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

1. स्थाई प्रतीक्षा सूची में निम्न दो श्रेणी के परिवार ग्रामसभा के अनुमोदन के पश्चात जोड़े जा सकेंगे।

(अ) पूर्व में परिवार का नाम सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणन-2011 में था (सिस्टम जनरेटिड लिस्ट) परन्तु ग्रामसभा द्वारा उसे डिलिट कर दिया गया।

(ब) परिवार का नाम, सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (सिस्टम जनरेटिड लिस्ट) में नहीं था।

2. उपरोक्त परिवार आवासहीन होना चाहिए अर्थात् उनका आवास शून्य अथवा एक या दो कच्चे कक्ष का होना चाहिए।

3. चयनित परिवार की पात्रता पूर्व अनुसार जारी निर्देशों के अनुसार ही होगी।

4. पंचायत सचिव चयनित परिवारों का अनुमोदन ग्रामसभा द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। ग्रामसभा के प्रस्ताव में परिवार के मुखिया का नाम दर्ज होगा तथा यह स्पष्ट किया जायेगा कि लाभार्थी का परीक्षण 13 बिन्दुओं (बहिर्वेशन प्रक्रिया) पर किया गया।

5. ग्रामसभा की सूची संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सक्षम प्राधिकारी) को प्रदाय की जायेगी। इस सूची का परीक्षण कर वह रिपोर्ट अपील समिति को (जिला स्तरीय अपील समिति विभाग के पत्र क्र. 5163 दिनांक 04.05.2016 द्वारा गठित) प्रस्तुत करेगा।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (सक्षम प्राधिकारी) को जो आवेदन सीधे प्राप्त होंगे उन्हें भी ग्रामसभा से अनुमोदन कराया जायेगा तथा अपील समिति को प्रस्तुत किया जायेगा।

7. अपील समिति समक्ष प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर उन परिवारों को पीएमएवायजी के लाभार्थियों की सूची में शामिल करने की अनुशंसा राज्य शासन को करेगी।

उपरोक्त कार्यवाही हेतु पृथक से Mobile application ग्रामीण विकास मंत्रालय एन.आई.सी. नई दिल्ली द्वारा निर्मित किया जा रहा है। आवास सॉफ्ट में भी पृथक से एक मॉड्यूल निर्मित किया जा रहा है, जिसमें जिओ टैगिंग, ग्रामसभा का प्रस्ताव अपलोड आदि की सुविधा प्रदाय की जा रही है। यह मॉड्यूल आवास सॉफ्ट पोर्टल पर प्रारम्भ होते ही जिलों को अवगत करा दिया जायेगा तथा योजना के प्रभारी अधिकारियों को पृथक से प्रशिक्षण प्रदाय कर समस्त जानकारी प्रदाय की जायेगी।

(इंकबाल सिंह बैंस)
विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश

आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ-10-07/2018/17/मेडि-2 **भोपाल, दिनांक 10.04.2018**

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
मध्यप्रदेश

विषय- आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन बनाये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत आयुष्मान भारत योजना 15 अगस्त 2018 से लागू की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधार की जनगणना में चिन्हित, D1, से D7 श्रेणी (D6 श्रेणी को छोड़कर) के परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के परिवारों को 5.00 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जायेगा। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना वर्ष 2011 पर आधारित है, तब से आज तक इसके तहत आने वाले परिवारों की आन्तरिक संरचना में काफी परिवर्तन हुए होंगे जैसे - परिवार में विवाह के फलस्वरूप पुत्रवधु का आगमन अथवा परिवार में बच्चे का जन्म हुआ होगा। ऐसी स्थिति में नये सदस्यों के नाम परिवार की सूची में सम्मिलित किये जाने होंगे। इसी प्रकार परिवार में किसी लड़की के विवाह होने अथवा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी आयी होगी। ऐसी स्थिति में इन सदस्यों के नाम की पहचान कर उन्हें परिवार के सदस्यों की सूची से विलोपित किया जाना होगा। यह परिवर्तन/संशोधन उक्त उदाहरण में वर्णित श्रेणी तक ही सीमित रहेगा। इसके अतिरिक्त असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जानकारी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों द्वारा हाल ही में अद्यतन की गई है।

2/ आयुष्मान भारत योजना के तहत लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के द्वारा निम्न दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा :-

1. आयुष्मान भारत योजना में पात्रता सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अंतर्गत D1, से D7 श्रेणी (D6 श्रेणी को छोड़कर) के परिवार तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के परिवार के सदस्यों को होगी।
2. इस योजना के क्रियान्वयन से पूर्व योजना के तहत लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की सूची को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। यह कार्य संयुक्त रूप से लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मैदानी अमले के द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से किया जाएगा।
3. आयुष्मान भारत योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें तथा उसके सहयोग के लिए आवश्यक अमला भी नियत करें। नोडल अधिकारी उसे ही नियुक्त किया जाए जिसे शासन स्तर पर 07 अप्रैल अथवा 11 अप्रैल 2018 को प्रशिक्षित किया गया हो।
4. जिला स्तर पर कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के साथ संपर्क स्थापित कर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित कर आयुष्मान भारत योजना में सर्वे की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जाये। इस योजना का जिले में प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए जिले में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी एवं एक अन्य अधिकारी को सहयोगी/लिंक अधिकारी नियुक्त करें।
5. पात्र परिवारों की अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने एवं उसके सत्यापन हेतु विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों एवं अन्य स्टाफ का प्रशिक्षण जिला स्तर पर आयोजित किया जाये एवं सर्वे दलों का गठन किया जाये। यह कार्य 15 अप्रैल 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।
6. पात्र परिवारों की जानकारी के एक पृष्ठ में 8 परिवारों की जानकारी सम्मिलित होगी जिसमें परिवार के मुखिया का नाम एवं परिवार

के सदस्यों के नाम पूर्व से उपलब्ध होंगे तथा इस जानकारी में परिवार के मुखिया का मोबाइल नम्बर, राशन कार्ड का नम्बर, परिवार में शामिल नये/कम हुए सदस्यों की जानकारी एकत्र की जानी है। राशन कार्ड के नम्बर की जानकारी के स्थान पर परिवार की समग्र आई.डी. की जानकारी एकत्र की जाएगी।

7. पात्र परिवारों की अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने एवं परिवारों के सत्यापन के संबंध में आशा, ए.एन.एम., एम.पी.डब्ल्यू, सुपरवाइजर्स तथा पंचायत विभाग के पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायकों के लिए एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर प्रशिक्षण दिनांक 18-22 अप्रैल के मध्य आयोजित किया जाये। इस प्रशिक्षण के दौरान ही सर्वे कार्य करने वाली आशाओं को पात्र परिवारों की सूची भी उपलब्ध कराई जाए।

8. पात्र परिवारों की सूची प्राप्त होने के उपरांत स्वास्थ्य विभाग का पर्यवेक्षीय अमला यथा ए.एन.एम., एम.पी. डब्ल्यू या पर्यवेक्षक (महिला या पुरुष) टोल फ्री नम्बर 1800-212-4684 पर कॉल करेगा तथा पात्र परिवारों की सूची में दर्शाए गए एक्टीवेशन कोड को दर्ज (फीड) करेगा।

9. जिला एन.आई.सी. के सहयोग से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के तहत पात्र वंचित परिवारों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में पी.डी.एफ. फार्मेट में डाउनलोड कर विभिन्न विभागों के सहयोग से जिला तथा विकासखंड स्तर पर ग्राम वार जानकारी का प्रिंट आउट निकाला जाये। औसतन प्रत्येक ग्राम में 200-250 पात्र वंचित परिवारों की संख्या अनुमानित है। औसतन प्रति ग्राम 25-35 पृष्ठ की जानकारी का प्रिंट आउट लिया जाना होगा। प्रिंट आउट एक प्रति में ही निकाला जाये तथा यह कार्य 18 अप्रैल 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।

10. दिनांक 30.04.2018 को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा जिसे "आयुष्मान भारत दिवस" नाम दिया गया है। विशेष ग्रामसभा में ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामों के भारत आयुष्मान योजना में पात्र परिवारों की जानकारी का प्रकाशन एवं वाचन संबंधित पंचायत सचिव के द्वारा नोडल अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा एवं "आयुष्मान भारत योजना" के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी भी उपस्थित जनसमुदाय को दी जाएगी।

11. पंचायत सचिव द्वारा ग्रामसभा में जानकारी के प्रकाशन एवं वाचन के पश्चात ग्रामवार सूची की प्रति संबंधित आशा कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर अतिरिक्त जानकारी एकत्र करने के लिये उपलब्ध करायेंगे। आशा कार्यकर्ता द्वारा दिनांक 1-7 मई 2018 के दौरान यह कार्य पूर्ण कर लिया जाये।

12. आशा कार्यकर्ता द्वारा किये गये सर्वे कार्य का शत-प्रतिशत सत्यापन ए.एन.एम./बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष), पर्यवेक्षकों (महिला/पुरुष) तथा पंचायत सचिव के द्वारा किया जाना है, यह कार्य सर्वे के साथ-साथ ही प्रारंभ किया जाये। इस कार्य को दिनांक 10 मई 2018 तक पूर्ण किय जाये। सत्यापन उपरांत सर्वेकर्ता एवं सत्यापनकर्ताओं द्वारा संयुक्त रूप से सर्वे सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

13. पात्र परिवारों की जानकारी के सत्यापन पश्चात सत्यापित जानकारी पंचायत सचिव को वापस उपलब्ध कराई जाये। पंचायत सचिव के सुपरविजन में एकत्र अतिरिक्त जानकारी एवं परिवार के सदस्यों के परिवर्तन की जानकारी की प्रविष्टि कम्प्युटर में रोजगार सहायक के द्वारा की जाएगी। यह कार्य भी साथ-साथ किया जाना चाहिये। यह कार्य 12 मई 2018 तक पूर्ण किया जाएगा।

14. ग्राम पंचायत के सचिव जानकारी की प्रविष्टि कम्प्युटर में पूर्ण करने के उपरांत ग्राम पंचायतवार अभिलेख मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी को 15 मई 2018 तक सुरक्षित रखने के लिए वापस लौटाएंगे। मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इन अभिलेखों को आगामी निर्देश तक सुरक्षित रखा जाएगा।

15. पात्र परिवारों की जानकारी को अद्यतन करने के लिए आशा कार्यकर्ता को प्रति परिवार रुपये 4/-, पंचायत सचिव को जानकारी सत्यापन करने के लिए प्रति परिवार रुपये 3/- एवं ग्राम सेवक को कम्प्यूटर में प्रविष्टि हेतु प्रति परिवार रुपये 3/- की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

16. पात्र परिवारों की जानकारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिये पृथक-पृथक प्राप्त की जाएगी। शहरी क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण, नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षीय अमले की नियुक्ति, सर्वे आदि के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जायेंगे। शहरी क्षेत्र की जानकारी 15 मई 2018 के पश्चात अद्यतन की जाएगी।

17. 30 अप्रैल 2018 को विशेष ग्रामसभा के आयोजन के दौरान स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं ग्रामजनों को पात्र परिवारों की सूची के वाचन एवं प्रकाशन के समय उपस्थित रहने हेतु विशेष अनुरोध पर्यवेक्षण में लगे मैदानी अमले के द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन एवं घर-घर जाकर सर्वे करने वाले कार्य के फोटो को सोशल मीडिया, विभागी वेबसाइट एवं प्रचार-प्रसार के अन्य माध्यमों पर उपलब्ध कराया जाएगा।

18. इस विषय पर किसी समस्या के निराकरण अथवा मार्गदर्शन के लिए हेल्पलाइन नम्बर 1097 पर सुविधा शुरू रहेगी। यह सुविधा

25 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होगी। इसके अतिरिक्त किसी मार्गदर्शन के लिए 15 अप्रैल 2018 के बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कॉल सेंटर के दूरभाष क्रमांक 0755-4020101, 0755-4020151, 0755-4092523, 0755-4092525 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

3/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं मैदानी अमले का प्रशिक्षण दिनांक 20.04.2018 से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाएगा। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अमले की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु तिथि, स्थान निर्धारण एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग का अमला, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले के परामर्श से तैयार करेगा।

4/ पात्र परिवारों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में पी.डी.एफ. फॉर्मेट में जिला/विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी पी.डी.एफ. फॉर्मेट में दिनांक 15/04/2018 के पश्चात डाउनलोड की जा सकेगी।

5/ पात्र परिवारों की जानकारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र पृथक-पृथक प्राप्त की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवारों की जानकारी दिनांक 1-7 मई 2018 के दौरान घर-घर जाकर अद्यतन की जाना है। प्रत्येक ग्राम में घर-घर सर्वे उपरांत सर्वे की अद्यतन जानकारी का सत्यापन करते हुए सभी जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित करने का दायित्व स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षीय अमले (ए.एन.एम., एम.पी. डब्ल्यू., पर्यवेक्षकों) एवं ग्राम पंचायत के सचिव का संयुक्त रूप से होगा।

6/ प्रदेश में इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की संख्या लगभग 83 लाख है जिसमें शहरी क्षेत्र के 15 लाख परिवार भी सम्मिलित हैं।

7/ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह इन निर्देशों की प्राप्ति के तत्काल बाद जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत से सम्पर्क कर उन्हें इस योजना के प्रावधानों से अवगत करायेंगे तथा उनसे परामर्श कर इस प्रकार कार्य योजना तैयार करेंगे कि नियत समय-सीमा में वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सके।

8/ निर्देश की यह प्रति सभी मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत तथा नोडल अधिकारी आयुष्मान भारत योजना को उपलब्ध कराने का दायित्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का होगा।

9/ उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर उपरोक्त गतिविधियाँ सफलतापूर्वक समय-सीमा में संपादित कराएँ।

10/ जिला स्तर पर जिला कलेक्टर समय-समय पर प्रगति प्राप्त की समीक्षा करेंगे तथा मैदानी अमले को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

हस्ता/-
(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक/एफ-10-07/2018/17/मेडि-2 **भोपाल, दिनांक 10.04.2018**

प्रतिलिपि :- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, पंचायतराज, मध्यप्रदेश।
7. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन के लिए तैयारी करने के निर्देश जारी

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक/एफ-/2018/17/मेडि-2 **भोपाल, दिनांक .04.2018**

प्रति,

1. **समस्त कलेक्टर्स**
   मध्यप्रदेश
2. **समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,**
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
3. **समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी**
   मध्यप्रदेश

विषय- आयुष्मान भारत योजना का क्रियान्वयन।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन बनाये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके तहत आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय आधार की जनगणना में चिन्हित, श्रेणी डी-1, से डी-7 श्रेणी (डी-6 छोड़कर) के परिवारों को 5.00 लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जायेगा। सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय जनगणना वर्ष 2011 पर आधारित है, तब से आज तक इसके तहत आने वाले परिवारों की आन्तरिक संरचना में काफी परिवर्तन हुए होंगे जैसे - परिवार में विवाह के फलस्वरूप पुत्रवधु का आगमन अथवा परिवार में बच्चे का जन्म हुआ होगा। ऐसी स्थिति में नये सदस्यों के नाम परिवार की सूची में सम्मिलित किये जाने होंगे। इसी प्रकार परिवार में किसी लड़की के विवाह होने अथवा परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने के कारण परिवार के सदस्यों की संख्या में कमी आयी होगी। ऐसी स्थिति में इन सदस्यों के नाम की पहचान कर उन्हें परिवार के सदस्यों की सूची से विलोपित किया जाना होगा। यह परिवर्तन/संशोधन उक्त उदाहरण में वर्णित श्रेणी तक ही सीमित रहेगा।

2/ आयुष्मान भारत योजना प्रदेश में 15 अगस्त, 2018 से प्रारंभ की जानी है। अतः इस योजना के क्रियान्वयन से पूर्व योजना के तहत लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की सूची को अद्यतन किया जाना आवश्यक है। पात्र परिवारों की जानकारी को अद्यतन करने का कार्य संयुक्त रूप से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के मैदानी अमले के द्वारा किया जाएगा। दिनांक 30.04.2018 को प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया जाएगा जिसे "आयुष्मान भारत दिवस" नाम दिया गया है। विशेष ग्रामसभा में ग्राम पंचायत से संबंधित ग्रामों के पात्र परिवारों की जानकारी प्रदर्शित एवं वंचित की जाएगी एवं "आयुष्मान भारत योजना" के तहत मिलने वाले लाभों की जानकारी भी उपस्थित जनसमुदाय को दी जाएगी।

3/ पात्र परिवारों की जानकारी को अद्यतन करने का कार्य आशा कार्यकर्ता के द्वारा किया जाएगा एवं इस कार्य का सुपरविजन ए.एन.एम./बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)/सुपरवाइजर के द्वारा किया जाएगा। आशा के द्वारा अद्यतन की गई जानकारी का शत-प्रतिशत सत्यापन पंचायत सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग की ए.एन.एम./एम.पी. डब्ल्यू., पर्यवेक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा, जिससे कि जानकारी में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रहे। सत्यापित जानकारी की प्रविष्टि कम्प्यूटर में रोज़गार सहायक के द्वारा की जाएगी।

4/ पात्र वंचित परिवारों की जानकारी को अद्यतन करने के लिए आशा कार्यकर्ता को प्रति परिवार रुपये 4/-, पंचायत सचिव को जानकारी सत्यापन करने के लिए प्रति परिवार रुपये 3/- एवं ग्राम सेवक को कम्प्यूटर में प्रविष्टि हेतु प्रति परिवार रुपये 2/- की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

5/ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिला एवं विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों एवं मैदानी अमले का प्रशिक्षण दिनांक 20.04.2018 से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाएगा। जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अमले की उपस्थिति भी सुनिश्चित की जाएगी। इस हेतु तिथि, स्थान निर्धारण एवं प्रशिक्षण की रूपरेखा जिला स्तर पर

स्वास्थ्य विभाग का अमला, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अमले के परामर्श से तैयार करेगा।

6/ पात्र परिवारों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में पी.डी.एफ. फॉर्मेट में जिला/विकासखण्ड स्तरीय नोडल अधिकारियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। यह जानकारी पी.डी.एफ. फॉर्मेट में दिनांक 15/04/2018 के पश्चात डाउनलोड की जा सकेगी। एक पृष्ठ में 8 परिवारों की जानकारी सम्मिलित होगी जिसमें परिवार के मुखिया का नाम एवं परिवार के सदस्यों के नाम पूर्व से उपलब्ध होंगे तथा इस जानकारी में परिवार के मुखिया का मोबाइल नम्बर, राशन कार्ड का नम्बर, परिवार में शामिल नये/कम हुए सदस्यों की जानकारी एकत्र की जानी है। राशन कार्ड के नम्बर की जानकारी के स्थान पर परिवार की समग्र आई.डी. की जानकारी एकत्र की जाएगी।

7/ पात्र परिवारों की जानकारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में पृथक-पृथक प्राप्त की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के पात्र परिवारों की जानकारी दिनांक 1-7 मई 2018 के दौरान घर-घर जाकर अद्यतन की जाना है। प्रत्येक ग्राम में घर-घर सर्वे उपरांत सर्वे की अद्यतन जानकारी का सत्यापन करते हुए सभी जानकारी ग्राम पंचायत स्तर पर संकलित करने का दायित्व स्वास्थ्य विभाग के पर्यवेक्षीय अमले (ए.एन.एम., एम.पी. डब्ल्यू., पर्यवेक्षकों) एवं ग्राम पंचायत के सचिव का संयुक्त रूप से होगा। संग्रहित जानकारी के सत्यापन का कार्य 01 मई से 10 की अवधि में किया जाएगा तथा डाटा अपडेशन का कार्य ग्राम पंचायत स्तर पर 15 मई तक पूर्ण किया जाएगा। सम्पूर्ण जानकारी संकलन उपरांत कम्प्यूटर में अद्यनीकृत करने हेतु ग्राम पंचायत के सचिव को सौंपी जायेगी। ग्राम पंचायत का सचिव इसका शत-प्रतिशत मिलान करने के उपरांत कम्प्यूटर में फीड करने के लिए रोज़गार सहायक को उपलब्ध कराएगा। ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा डाटा फीडिंग का कार्य पूर्ण करने के उपरांत अभिलेख मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी को 20 मई 2018 तक पग्राम पंचायतवार सुरक्षित रखने के लिए वापस लौटाएगा। मुख्य खण्ड चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इन अभिलेखों को आगामी निर्देश तक सुरक्षित रखा जाएगा। शहरी क्षेत्र की जानकारी 15 मई 2018 के पश्चात अद्यतन की जाएगी। शहरी क्षेत्र के लिए प्रशिक्षण, नोडल अधिकारी/पर्यवेक्षीय अमले की नियुक्ति, सर्वे आदि के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे।

8/ प्रदेश में इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की संख्या लगभग 83 लाख है जिसमें शहरी क्षेत्र के 15 लाख परिवार भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार औसतन प्रत्येक ग्राम में 200-250 पात्र वंचित परिवार की संख्या अनुमानित है। जानकारी अद्यतन करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में प्रति पृष्ठ 8 परिवार के आधार पर औसतन प्रति ग्राम 25-35 पृष्ठ की जानकारी का प्रिन्ट आउट लिया जाना होगा। पात्र परिवारों की सूची का प्रिन्ट आउट विकासखण्ड अथवा जिला स्तर पर विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर लिया जाना होगा क्योंकि प्रत्येक विकासखण्ड पर गाँव की जानकारी के अनुसार 20 से 30 हजार पृष्ठों के प्रिन्ट आउट निकाले जाने होंगे। इतनी बड़ी संख्या में प्रिन्ट आउट निकालने में चार से पाँच दिन का समय भी लग सकता है। अतः यह कार्य 15-19 अप्रैल, 2018 की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9/ जिला स्तर पर जिला कलेक्टर समय-समय पर प्रगति प्राप्त की समीक्षा करेंगे तथा मैदानी अमले को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।

10/ उपरोक्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप समस्त अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर उपरोक्त गतिविधियाँ सफलतापूर्वक समय-सीमा में संपादित कराने में अपना सहयोग प्रदान करेंगे।

(हस्ता/-)
(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

(हस्ता/-)
(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ...../2018/17/मेडि-2 **भोपाल, दिनांक.....04.2018**

प्रतिलिपि :- कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
4. प्रबंध संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
5. संचालक, पंचायतराज, मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

(गौरी सिंह), प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का पंजीकरण

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
बी-विंग अपर बेसमेन्ट, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
फोन नं. 0755-2550821 , E-mail - swsmmp@gmail.com

क्र.97/22/वि-7/पं.ग्रा.वि/एस.बी.एम. (जी.)/2017 **भोपाल, दिनांक 12.03.2018**

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत, समस्त, मध्यप्रदेश।

विषयः- चंपारन बिहार में आयोजित होने वाले "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" तक कार्यक्रम के योगदान हेतु प्रतिभागियों के पंजीकरण के संबंध में।

संदर्भ :- कार्यालय का पत्र क्रमांक 239 दिनांक 27/02/2018

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ को "सत्याग्रह" के रूप में मनाये जाने के अनुक्रम में जिलों के चयनित स्वच्छाग्रहियों का पंजीकरण GOI-MIS के G-04 एन्ट्री मॉड्यूल में किये जाने का निर्देश दिया गया था। उक्त संबंध में आज दिनांक 12/03/2018 को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा आयोजित वीडियो कान्फ्रेंस में दिये गये निर्देशों के अनुसार निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का कष्ट करें-

1. उत्कृष्ट स्वच्छाग्रही/प्रेरक का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाना सुनिचित करें।
2. प्रत्येक जिले से 1 नोडल अधिकारी नियुक्त करें जो समूह के साथ जायेगा/ यदि जिले में ZSBP पदस्थ है, तो नोडल अधिकारी उन्हें ही नियुक्त करें।
3. जिला नोडल अधिकारी को स्वच्छाग्राही/प्रेरक के साथ 2 अप्रैल 2018 को पटना (बिहार) पहुंचना होगा। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत इनको बस/ट्रेन से भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
4. नोडल अधिकारी एवं स्वच्छाग्राही 2 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उनके लिए निर्धारित कार्य हेतु आवंटित जिले के ग्रामों/चम्पारन के मुख्य कार्यक्रम में रहेंगे। दिनांक 10/11 अप्रैल 2018 को चम्पारन से पटना वापस आयेंगे। अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत उनको पटना से वापस लाने हेतु बस/ट्रेन में व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। चिन्हित प्रतिभागियों की ट्रेन टिकट बुकिंग अभी करा लिया जाए (वेटिंग टिकट मिलने पर टिकट बुक कर राज्य को सूचित किया जाए)।
5. प्रतिभागियों का एक दिवसीय जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम राज्य द्वारा कराया जायेगा, जिसमें प्रतिभागियों का आना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण की जानकारी पृथक से उपलब्ध कराई जायेगी।
6. नामांकित व्यक्तियों को प्रति दिन, 500 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदाय की जायेगी।
7. प्रत्येक जिलों से 50 स्वच्छाग्राहियों की एन्ट्री चाही गई है वे इस प्रकार हैं-
   भोपाल, शाजापुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, इन्दौर, हरदा, उज्जैन, बुरहानपुर, रायसेन एवं खण्डवा। अन्य जिलों द्वारा 25 (प्रत्येक जिले से) स्वच्छाग्राहियों की एन्ट्री की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि चयनित स्वच्छाग्राही/प्रेरकों का ऑनलाइन पंजीयन GIO के MIS एन्ट्री मॉड्यूल G-04 में दिनांक 13.03.2018 तक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही किया जा सके। इस हेतु होने वाले व्यय जिले के आईईसी मद से विकलनीय होगा।

(डॉ. अतुल श्रीवास्तव)
राज्य कार्यक्रम अधिकारी
राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)

ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जायेगी

मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 224/अमुस/पं.ग्रा.वि./2018, **भोपाल, दिनांक 20.04.2018**

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।
2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
   जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।

विषयः- ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु की दशा में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में।

संदर्भः- विभागीय पत्र क्र. एफ/22/पं-1/1/2017/124, दिनांक 15.11.17 एवं पत्र क्र. एफ/22/पं-1/2018/71, दिनांक 16.02.18

संदर्भित पत्र क्रं. एफ/22/पं-1/2018/71, दिनांक 16.02.18 के परिप्रेक्ष्य में कतिपय मुख्य कार्यपालन अधिकारियों के द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की नीति में और स्पष्टता की अपेक्षा की है। निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है :-

(1) दिनांक 01.04.2008 के पश्चात जिन ग्राम पंचायत सचिवों की उनके सेवाकाल में मृत्यु हुई है, उन पर आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी। पत्र क्रमांक एफ 124/2017/1-पं/22/, दिनांक 15.11.17 की कंडिका 5 में 3 वर्ष की अवधि का उल्लेख किया गया है। इस अवधि की गणना मृत्यु दिनांक अथवा दिनांक 01.04.2018 जो भी बाद में हो, से की जाएगी।

(2) संबंधित जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिले में रिक्त सचिवों के पद के विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करेंगे। निर्धारित तिथि तक ग्राम पंचायत सचिवों के आश्रित से प्राप्त पात्र (निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाले) आवेदनों की संख्या रिक्तियों से अधिक होने पर, नियुक्ति में 01 अप्रैल 2008 के पश्चात, मृत्यु की तिथि को प्रथम वरीयता देते हुये, मृतक सचिव के पात्र आश्रित को नियुक्ति दी जावेगी। शेष आवेदकों को भविष्य में पद रिक्त होने पर पुनः आवेदन करना होगा एवं उक्त तिथि पर पात्रता का पुनः परीक्षण कर उपरोक्त नियमानुसार विचार कर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

(3) यदि मृतक पर आश्रित परिवार में अनुकंपा नियुक्ति का इच्छुक सदस्य निर्धारित शैक्षणिक अर्हता न रखता हो, तो उसे आवश्यक शैक्षणिक अर्हता कंडिका (1) में उल्लेखित अवधि के भीतर अर्जित करना होगी एवं पात्रता धारित करने के पश्चात जिला पंचायत में तत्समय रिक्तियाँ होने पर ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कण्डिका (2) के अंतर्गत की गई कार्यवाही के अधीन अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

(4) पत्र क्रमांक एफ/22/पं-1/2017/124, दिनांक 15.11.17 की बाकी समस्त शर्तें यथावत् लागू रहेंगी। कृपया तदनुसार सूचित हो।

(इकबाल सिंह बैंस)
अपर मुख्य सचिव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग